

संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा
कार्ययोजना
(2002—2007)

जनपद — इटावा

NIEPA DC



D11478

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTER

National Institute of Educational
Research and Administration.

17-B, ...ondo Marg,

New ...-licó

DOC. No D-11478

Date 09-07-2002

इटावा

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1-6
2.	शैक्षिक परिदृश्य	7-22
3.	नियोजन प्रक्रिया	23-31
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	32-35
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	36-41
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार- (नवीन विद्यालय)	42-47
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार- (ई०जी०एस०/ए०आई.ई०)	48-59
8.	ठहराव में वृद्धि	60-80
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	81-120
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	121-144
11.	परियोजना लागत	145-154

अध्याय—1

जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जनपद इटावा के नाम की उत्पत्ति स्वयं में एक रोचक दास्तान से परिपूर्ण है, लोक प्रचलित कथानक के अनुसार राजपूत राजाओं में प्रसिद्ध चौहान वंश के राजा सुमेर सिंह वर्तमान इटावा के निकट यमुना नदी के तट पर स्नान करने आये थे, जहां एक बकरी एवं भेड़िया साथ-साथ पानी पी रहे थे। इस विस्मयकारी दृश्य के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिषियों के परामर्श से वहां पर एक किला के निर्माण कराने का निर्णय लिया, किला निर्माण की नींव खोदते समय एक सोने एवं एक चांदी की ईंट प्राप्त हुई जिसे मजदूरों ने शोर मचाकर ईंट आया अर्थात् (ईंट मिली) कहा। मजदूरों के चिल्लाने की ध्वनि के आधार पर उस जगह का नाम ईंट आया पड़ा। जो कि बाद में इटावा में परिवर्तित हो गया।

इटावा जनपद कानपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है इसकी उत्तरी सीमा मैनपुरी एवं फर्रुखाबाद जनपदों तथा पूर्वी सीमा नव सृजित जिला औरैया से मिली हुई है, दक्षिणी सीमा आंशिक रूप से जालौन तथा भिण्ड (म.प्र.) जनपदों से मिली हुई है शेष पश्चिमी सीमा विशुद्ध पेमिल यादगार ताजमहल के प्रसिद्ध शहर आगरा से जुड़ी हैं। जनपद इटावा 26.21 डिग्री एवं 27.1 उत्तरी अक्षांश तथा 78.45 और 79.45 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

जनपद इटावा में इटावा, जसवंतनगर, सैफई, भरथना एवं चकरनगर पांच तहसीलें हैं साथ ही बड़पुरा, बसरेहर, जसवंतनगर, सैफई, चकरनगर, महेंवा,

ताखा तथा भरथना सहित कुल आठ विकास खण्ड है। जनपद में चम्बल, यमुना, क्वारी, रोंगर, पुरहा, अहनीया, तरसों, अरण्य तथा पाण्डे, कुल नौ नदियां हैं। यमुना नदी जसवंतनगर, बढपुरा, महेवा चकरनगर विकास खण्डों से होकर गुजरती है।

जनपद इटावा का क्षेत्रफल सर्वेयर आफ इण्डिया के अनुसार 9432 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 146.3 मीटर से लेकर 149.7 मीटर तक ऊंचाई पर स्थित है।

पर्यटक स्थल

इटावा जनपद में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है जिसमें यमुना नदी के किनारे बसा आसई का दुर्ग, भरेहश्वर का मंदिर, चकरनगर तहसील में पांच नदियों का संगम पचनदा, प्रतापनेर किले के अवशेष स्थान, कचौरा घाट, मूँज के खेतों के मध्य स्थित शिवलिंग, भरथना तहसील ऊसराहार के निकट सरसईनावर में बाइस ख्वाजा (मजारें) इटावा-फर्रुखाबाद मार्ग पर दतावली में एक अनाम चुगलखोर की मजार इटावा औरैया मार्ग पर इकदिल के पास बाबरी व लखना में कालिका-देवी का मंदिर है। प्रचीनतम स्वरूप की अभिव्यक्त करने वाला कालीवाहन मंदिर इटावा के गौरवमयी इतिहास को बखान करते हैं।

भूमि व उपज

इटावा की भूमि दोमट एवं मटियार है, वीहड़ांचल में लाल एवं कंकरीली मिट्टी पाई जाती है यहां पर ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत तीनों ऋतुएँ होती है। यहाँ धान, गेहूँ, जौ, मटर, चना, ककड़ी, खीरा, तरबूज, लाही व गन्ना आदि की फसलें पैदा की जाती है। आलू की खेती के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

सिंचाई के साधन

इटावा जनपद में सिंचाई के लिए मुख्य साधन नहरें हैं इसके साथ ही नदियों के पानी से भी सिंचाई की जाती है, नलकूप भी सिंचाई का एक अच्छा साधन है। इस प्रकार कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जनपद इटावा का सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र सिंचित है।

उद्योग धन्धे

जनपद इटावा का प्रमुख उद्योग कृषि एवं पशु पालन है पशुओं का प्रयोग कृषि के साथ-साथ दूध, घी, मक्खन बनाने के लिये किया जाता है। हथकरघा से बने सूती वस्त्र विदेशों तक को निर्यात किये जाते हैं।

भाषा एवं संस्कृति

इटावा में बृज, कन्नौजी एवं बुन्देली भाषा मिश्रित रूप में बोली जाती है जो सभी के हृदय को मोह लेने वाली होती है। यहां पर आल्हा, कजरी, ऋग, लंगूरिया, भजन, कीर्तन एवं लोकगीत यहां की संस्कृति पर चार चांद लगाते हैं। जनपद इटावा के लोगों का मुख्य भोजन, दाल, चावल, सब्जी रोटी है। शादी-विवाह के अवसर पर मट्ठा के आलू, हलुआ का महत्व ही अलग होता है। यहां के लोगों में पुरुषों की वेष भूषा धोती, कुर्ता एवं महिलाओं में साड़ी, ब्लाउज का चलन है। नवम्बर के माह में इटावा में पशु मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन होता है जो एक माह तक रहता है जिसका प्रदेश में दूसरा स्थान है।

जिले की प्रशासनिक इकाईयाँ

जनपद इटावा का विभाजन सितम्बर 1997 में होने के पश्चात् नवीन जनपद के पांच तहसीलें एवं 8 विकास खण्ड ही हैं। जिनका विवरण सारणी संख्या 1.11 में दर्शाया गया है।

सारणी-1.1

	संख्या
तहसील	05
विकास खण्ड	08
न्याय पंचायत	075
ग्राम सभायें	416
राजस्व ग्राम	620
बस्तियों की संख्या	2135
नगरीय क्षेत्र	—
नगर निगम	—
नगर महापालिका	—
नगरपालिका	03
टाउन एरिया	03
वार्ड	83

स्रोत : जिला संख्यिकीय पत्रिका

जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद इटावा की कुल जनसंख्या 11.13 लाख थी। जिसमें 6 लाख पुरुष एवं 5.12 लाख महिलाये थीं। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2.55 लाख थी। वर्ष 2001 में जनपद की जनसंख्या 13.40 लाख है। जिसमें 7.22 लाख पुरुष एवं 6.18 लाख महिलाये हैं। जनपद में 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या 230617 है, जो कुल आबादी का 17.2 प्रतिशत है। जनपद इटावा का लिंग अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर 856 महिलाये हैं। जनपद का जनसंख्या घनत्व 586 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

क्रम सं.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991						जनसंख्या 2001 अनुमानित					
		कुल जनसंख्या			अनु. जाति जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु. जाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	विकास खण्डों की जनसंख्या	534455	454521	988976	131498	109133	240631	653228	554866	1208094	170897	142613	313510
2.	नगर क्षेत्र का नाम	65961	58071	124032	7574	7105	14679	80472	70847	151319	9240	8668	17908
	जनपद का कुल योग (ग्रामीण+नगरीय)	600416	512592	1113008	139072	116238	255310	733700	625713	1359413	180137	151281	331418

नोट : जनगणना 2001 की जनगणना की विकास खण्डवार व जातिवार जनसंख्या सारणी अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

सारिणी संख्या 1.3

विकास खण्डवार / नगर क्षेत्रवार जन संख्या का विवरण

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			1991 की कुल अनु०जाति की जन संख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित अनु०जा० की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	बसरेहर	66354	51339	117693	16745	13415	30160	79354	63611	142965	19836	15902	35738
2.	सैफई	40969	37818	78787	6964	6429	13393	50010	46163	96173	8501	7848	16349
3.	बढ़पुरा	61703	56957	118660	13995	11922	25917	75277	69488	144765	17074	14545	31619
4.	चकर नगर	39603	35259	74862	9138	8547	17685	48316	43015	91331	11148	10427	21575
5.	भरथना	84947	71386	156333	21095	17709	38804	103635	89091	192726	25735	21605	47340
6.	ताखा	50031	43608	93639	18405	16314	34719	61037	53201	114238	19146	17940	37086
7.	जसवंत नगर	98715	80766	179481	13673	11005	24678	120432	98534	218966	30108	24633	54741
8.	भहेवा	92133	77388	169521	31483	23792	55275	115167	91763	206930	39349	29713	69062
	योग	534455	454521	988976	131498	109133	240631	653228	554866	1208094	170897	142613	313510
9.	नगर क्षेत्र	65961	58071	124032	7574	7105	14679	80472	70847	151319	9240	8668	17908
	योग	600416	512592	1113008	139072	116238	255310	733700	625713	1359413	180137	151281	331418

स्रोत - जनगणना 1991

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना की विकासखण्ड वार, जातिवार सारिणी उपलब्ध नहीं है, इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय 2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 से लागू हुयी थी, जो वर्ष 2000 में समाप्त हुई। इसके अन्तर्गत जनपद इटावा में 422 प्राथमिक विद्यालय तथा 211 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। परियोजना के अन्तर्गत 422 जनपद में 127 अतिरिक्त कक्षा कक्षों तथा 512 शौचालयों का निर्माण हुआ। दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत 2 विद्यालय, 2 शौचालय तथा 2 हैण्ड पम्प का निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 75 संकुल भवनों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के कारण जनपद में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन दर में आशातीत वृद्धि हुई तथा ठहराव में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। परियोजना के अन्तर्गत जनसहभागिता द्वारा, जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों के विचारों द्वारा शिक्षा स्तर में संतोषजनक प्रगति हुई तथा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा।

जनपद इटावा में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 53.7 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण साक्षरता 51.3 प्रतिशत तथा नगरीय साक्षरता 66.3 प्रतिशत है। जिसमें कुल पुरुष साक्षरता 66.2 प्रतिशत एवं कुल महिला साक्षरता 38.3 प्रतिशत है। नगरीय पुरुष साक्षरता 74.4 प्रतिशत के सापेक्ष ग्रामीण पुरुष साक्षरता 64.7 प्रतिशत है। इसी प्रकार नगरीय महिला साक्षरता 57 प्रतिशत के सापेक्ष ग्रामीण महिला साक्षरता 34.7 प्रतिशत है। जिसका सारणी 2.1 में दर्शाया गया है तथा विकास खण्डवार साक्षरता दर संलग्नक 2.1 में दर्शाया गया है।

	राज्य की साक्षरता दर (1991)	जनपद की साक्षरता दर (1991)
कुल साक्षरता	53.7 प्रतिशत	41.60 प्रतिशत
ग्रामीण साक्षरता	51.3 प्रतिशत	36.66 प्रतिशत
नगरीय साक्षरता	68.3 प्रतिशत	61.03 प्रतिशत
कुल पुरुष साक्षरता	66.2 प्रतिशत	55.73 प्रतिशत
कुल महिला साक्षरता	38.3 प्रतिशत	25.31 प्रतिशत
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	64.7 प्रतिशत	52.05 प्रतिशत
ग्रामीण महिला साक्षरता	34.7 प्रतिशत	19.02 प्रतिशत
नगरीय पुरुष साक्षरता	74.4 प्रतिशत	69.68 प्रतिशत
नगरीय महिला साक्षरता	57.0 प्रतिशत	50.38 प्रतिशत

स्रोत - जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 1998

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर कुल 59 प्रतिशत हो गई है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 67 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 48 प्रतिशत है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

विकास खण्ड वार साक्षरता

जनपद इटावा की विकास खण्ड वार साक्षरता दर का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड महेवा की साक्षरता दर 58.1 प्रतिशत है, जो सबसे अधिक है तथा विकास खण्ड चकरनगर की साक्षरता दर 42.2 प्रतिशत है, जो सबसे कम है। जिसका विवरण निम्नवत है।

संलग्नक 2.1

विकास खण्ड वार साक्षरता

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1	जसवंत नगर	65.7	32.1	50.6
2	बसरेहर	64.0	35.5	51.4
3	बढ़पुरा	60.9	30.4	47.2
4	ताखा	60.0	27.6	45.7
5	भरथना	65.5	34.1	51.3
6	महेवा	71.7	41.5	58.1
7	चकर नगर	36.7	24.2	42.2
8	सैफई	63.4	32.3	50.4
9	नगर क्षेत्र	74.4	57.0	66.3

स्रोत - जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 1998

नोट : जनगणना 2001 की विकास खण्ड वार साक्षरता दर विवरण उपलब्ध नहीं है।

शैक्षिक संस्थायें

जनपद इटावा में वर्तमान समय में 1309 प्राथमिक विद्यालय एवं 486 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जिसमें 931 परिषदीय प्राथमिक एवं 378 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं तथा 271 परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं 215 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जनपद इटावा में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त मिलाकर 32 हाईस्कूल एवं 50 इण्टर मीडिएट विद्यालय संचालित हैं। जनपद में एक नवोदय विद्यालय, 6 महाविद्यालय, 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 2 तकनीकी संस्थान, 3 कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ, 739 आंगनवाडी केन्द्र, 6 मकतब मदरसे, 3 संस्कृत पाठशालाएँ एवं एक विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान हेतु मान्यता प्राप्त संस्था संचालित है। जो सारणी 2.2 में दर्शाया गया है। विकास खण्डवार विवरण संलग्नक 2.2 दर्शाया गया है।

सारणी 2.2

शैक्षिक संस्थायें

क्र०		पारिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	892	39	931	233	145	378	1125	184	1309			
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	266	05	271	134	81	215	400	86	486			
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उ.प्रा. अनुभाग	05	-	05	22	-	22	27	-	27	-	-	-
5	केन्द्रीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	नवोदय विद्यालय	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-
7	हाईस्कूल	04	-	04	24	04	28	28	04	32			
8	इण्टरमीडिएट	03	02	05	37	08	45	40	10	50			
9	डिग्री कालेज	-	-	-	05	01	06	05	01	06	-	-	-
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	-	-	-	-	02	02	-	02	02	-	-	-
11	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0/पली0)	-	02	02	-	-	-	-	02	02	-	-	-
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ	-	01	01	-	2	2	-	03	03	-	-	-
14	आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या	739	-	739	-	-	-	-	739	739			
15	मकतब/मदरसे	-	-	-	03	03	06	03	03	06	-	-	-
16	संस्कृत पाठशालायें	-	-	-	03	-	03	03	-	03	-	-	-
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएँ	-	-	-	-	01	01	-	01	01	-	-	-
18	बाल श्रमिक विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद इटावा के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 2682 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 2357 अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्रकार 325 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। जनपद इटावा में 217 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1391 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 1127 ग्रामीण एवं 27 अध्यापक नगर क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस प्रकार सृजित के साक्षेप कार्यरत को घटाने के उपरान्त 237 पद रिक्त हैं। जिसे सारणी 2.3 में दर्शाया गया है।

सारणी-2.3

शिक्षकों की उपलब्धता (1-07-2000 की स्थिति)

		सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण		2253		217
	नगर		104		
	योग	2682	2357	325	
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण		1127		
	नगर		27		
	योग	1391	1154	237	

श्रोत --: विभागीय आंकड़े

विकास खण्डवार विवरण संलग्नक 2.3 में दर्शाया गया है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद इटावा में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 570 एवं 632 बस्तियाँ हैं। 516 ग्रामों एवं 316 बस्तियों में 1 किमी. से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। 56 ग्रामों एवं 248 बस्तियों में 1.5 किमी. से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं।

जनपद में 8 ग्राम एवं 68 ऐसे बस्तियाँ हैं जिनमें 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है इन असेंद्धित बस्तियों को संदित किया जाना है। विकास खण्डभर असेंद्धित बस्तियों की सूची संलग्नक 2.9 में दिया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले 233 गाँव हैं जिनको 3 किमी. से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। 62 ऐसे ग्राम हैं जिनमें 3 किमी. से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है।

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाली 59 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनको 3 किमी. से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है तथा 24 ऐसी बस्तियाँ हैं जिनमें 3 किमी. से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक सुविधा उपलब्ध है उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय का 1 : 2 करने हेतु अतिरिक्त 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी। जिसका विवरण सारणी 2.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.4

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी० से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी० अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
<input type="checkbox"/> ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	516	56	8
<input type="checkbox"/> ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	316	248	68

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी० से कम दूरी पर परिषदीय/मान्यता उ०प्रा०वि०	3 किमी० से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1 : 2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
<input type="checkbox"/> ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	233	62	प्रा.वि. 931
<input type="checkbox"/> ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	59	24	नवीन प्रस्तावित 76 योग - 1007 1 : 2 पर 503 उ.प्रा. वि. उ.प्रा. 271+हाई स्कूल एवं इण्टर 82=353 503-353=150

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

जनपद इटावा में कुल 931 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिसमें 895 भवन युक्त एवं 36 भवनहीन विद्यालय हैं भवनयुक्त विद्यालयों में 98 लघु मरम्मत तथा 27 वृहद मरम्मत योग्य हैं 79 प्राथमिक विद्यालय शौचालय विहीन एवं 81 हैण्डपम्प विहीन विद्यालय हैं इसके साथ ही 756 चहारदीवारी विहीन विद्यालय हैं।

जनपद इटावा में कुल संचालित 271 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 269 भवनयुक्त तथा 2 भवनहीन विद्यालय एवं 9 पुर्ननिर्माण योग्य विद्यालय हैं। संचालित विद्यालयों में से 25 विद्यालयों लघु मरम्मत एवं 12 विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है। संचालित विद्यालयों में 11 शौचालय विहीन 21 हैण्डपम्प विहीन एवं 214 चहारदीवारी विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिसका विवरण तालिका संख्या 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.6

विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधायें

प्राथमिक स्तर

क्र० सं०	गामीण विकास खण्ड वार	नगर नगर क्षेत्रवार	योग
1	प्राथमिक विद्यालय भवन		
	एक कक्षीय विद्यालयों की सं०	10	—
	दो कक्षीय वि० की संख्या	747	01
	तीन कक्षीय वि० की संख्या	55	11
	चार कक्षीय वि० की संख्या	48	—
	पांच कक्षीय वि० की संख्या	15	—
	पांच कक्ष से अधिक	08	08
2	अन्य भवन में संचालित—09	कुल विद्यालय संख्या—931	भवन युक्त—895 भवनहीन—36
3	मरम्मत योग्य विद्यालय	लघु मरम्मत योग्य—98	वृहद मरम्मत योग्य —27
	शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय—82	शौचालय विहीन विद्यालय—; शौचालयों की आवश्यकता—79
	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त—823	हैण्डपम्प विहीन—81 हैण्डपम्प की आवश्यकता—81
	चाहरदीवारी	चाहर दीवारीयुक्त—148	चाहरदीवारी विहीन—756 चाहरदीवारी आवश्यकता— 756

उच्च प्राथमिक स्तर

7.	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालयों की संख्या 271	भवनयुक्त 269	भवनहीन—02	जर्जर (पुर्ननिर्माण योग्य—09)
8.	मरम्मत योग्य	लघु मरम्मत—25			वृहद मरम्मत—12
				नगर क्षेत्र	योग
9.	एक कक्षीय विद्यालय	03			03
	दो कक्षीय विद्यालय	02			02
	तीन कक्षीय विद्यालय	191			191
	चार कक्षीय विद्यालय	59			59
	पांच कक्षीय विद्यालय	04			04
	5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	06		04	10
	अन्य भवन में संचालित	01			
10.	शौचालय युक्त—259		शौचालय विहीन —11		
11.	हैण्डपम्प युक्त—250		हैण्डपम्प विहीन—21		
12.	चाहर दीवारी युक्त—56		चाहरदीवारी विहीन—214		

विकास खण्डवार विवरण संलग्नक 2.7 में दर्शाया गया है।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

विद्यालय में भौतिक सुविधाओं से सम्बन्धित सारणी संख्या 2.7 के अवलोकन से वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी एवं आवश्यकता का आंकलन किया जा सकता है।

सारणी 2.4 में दर्शाये गये असेवित बस्तियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनपद इटावा में 76 असेवित बस्तियाँ हैं, जहाँ पर 300 से अधिक आबादी है एवं 1.5 किमी की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है, उन बस्तियों को सेवित किया जाना है। साथ ही 128 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी आबादी 800 से अधिक है एवं 3 किमी की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्राप्त नहीं है, वहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं।

जनपद इटावा में 41 प्राथमिक विद्यालय व 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर हैं जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना है।

जनपद इटावा में कुल संचालित 931 प्राथमिक विद्यालय एवं 271 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति शिक्षक प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन वृद्धि को देखते हुये क्रमशः 732 एवं 143 कुल 875 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी।

जनपद इटावा में 81 प्राथमिक विद्यालय एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प, 78 प्राथमिक एवं 12 उच्च प्राथमिक में शौचालय तथा 756 प्राथमिक एवं 215 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता है, जिसे पूर्ण कराया जाना है, जिसका विवरण सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.7

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	76	—	76	150	—	150
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	41	—	41	9	—	9
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	767	—	767	61	—	61
4.	पेयजल	81	—	81	22	—	22
5.	शौचालय	78	—	78	12	—	12
6.	चाहारदीवारी	756	—	756	215	—	215

स्रोत- विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

संलग्नक - 2.2

विकास खण्ड वार शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

क्र०	विकास क्षेत्र	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		मा० से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक		हाईस्कूल		इण्टर		डिग्री कालेज		स्नातकोत्तर		आंगनवाडी		मकतय		विकलांग		तकनीकी		कम्प्यूटर		संस्कृत पाठ०		
		परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	
1	वसरेहर	129	24	37	16	-	7	-	1	-	7	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सैफई	74	20	24	9	2	3	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	बढपुरा	141	24	43	15	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	104	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	धकरनगर	92	9	29	5	3	2	4	-	-	2	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ताखा	76	21	22	14	-	3	-	8	-	3	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	भरथना	111	49	33	31	-	-	-	4	-	7	-	2	-	-	110	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	जसवंतनगर	113	36	30	17	-	-	-	6	1	7	-	1	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	महेवा	156	50	48	27	-	7	-	2	-	5	-	-	-	1	186	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	
	योग	892	233	266	134	5	22	4	24	3	37	-	5	-	1	739	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
9	नगरक्षेत्र	39	145	5	81	-	-	-	4	2	8	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	2	-	1	2	-	3	
	योग	931	378	271	215	5	22	4	28	5	45	-	6	-	2	739	-	-	6	-	1	2	-	1	2	-	6	

संलग्नक - 2.3

विकास खण्ड वार शिक्षकों की उपलब्धता का विवरण

क्र०	विकास खंड का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक						
		सृजित	कार्यरत	रिक्त 01.07.2000	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या		सृजित	कार्यरत	रिक्त	-	
1	वसारेहर		388						167		
2	सैफई		154						98		
3	बढपुरा		390						167		
4	चकरनगर		147						76		
5	ताखा		137						76		
6	भरथना		323						147		
7	गहेवा		403						280		
8	जसवंतनगर		311						116		
योग			2253				217		1127		
9	नगरक्षेत्र		104				-		27		
योग			2357				217		1154		

16

स्रोत :- विभागीय आंकड़े

संलग्नक- 2.4

विकास खण्डवार परिषदीय/मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र०	विकास खंड का नाम	परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता						परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता					
		1 किमी० से कम		1 किमी०से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम		1.5 किमी० से अधिक		3 किमी० से कम दूरी पर		3 किमी० से अधिक दूरी पर		उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उ०प्रा० वि० की संख्या	
		ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम/बस्ती	
1	बसरेहर	83	32	—	96	03	06	32	07	—	—	27	
2	सैफई	57	75	9	35	—	03	37	27	07	02	10	
3	बढपुरा	55	61	25	—	—	07	34	09	—	—	20	
4	चकरनगर	60	13	—	19	—	11	23	06	18	12	20	
5	ताखा	06	24	03	13	02	09	05	—	07	09	18	
6	भरथना	78	51	05	08	02	08	36	04	01	—	14	
7	जसवंतनगर	61	25	14	13	01	05	21	05	03	01	11	
8	महेवा	116	35	—	64	—	19	45	01	26	—	30	
	योग	516	316	56	248	08	68	233	59	62	24	150	

17/8

स्रोत - विभागीय आंकड़े

संलग्नक 2.7

विकास खण्ड वार उपलब्ध भौतिक सुविधाएं

	प्राथमिक स्तर										उच्च प्राथमिक स्तर										
	बसरेहर	रीफर्ड	बटपुरा	धकरनगर	ताखा	भरथना	जसवंतनगर	महेवा	नगर क्षेत्र	योग	बसरेहर	रीफर्ड	बटपुरा	धकरनगर	ताखा	भरथना	जसवंतनगर	महेवा	नगर क्षेत्र	योग	
एक कक्षीय	—	—	—	01	01	01	07	—	—	10	—	—	01	01	01	—	—	—	—	—	03
दो कक्षीय	98	64	130	85	68	83	87	132	01	748	—	—	—	01	—	01	—	—	—	—	02
तीन कक्षीय	09	05	02	00	00	07	08	12	11	66	27	19	35	24	18	01	28	39	—	—	191
चार कक्षीय	16	02	04	—	01	13	06	06	—	48	06	04	06	03	03	28	01	08	—	—	59
पांच कक्षीय	04	02	—	—	—	04	01	04	—	15	03	—	01	—	—	—	—	—	—	—	04
पाया से अधिक कक्षीय	02	01	—	—	—	—	04	01	—	08	—	01	—	—	—	03	01	01	04	—	10
अन्य शीनों पर	—	—	05	—	—	03	—	01	—	09	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01
कुल मिनालय	120	74	141	92	76	111	113	156	39	931	37	24	43	29	22	33	30	48	05	—	271
भवन युक्त	129	74	136	92	76	108	113	155	12	895	36	24	43	29	22	33	30	48	04	—	269
भवनहीन	—	—	05	—	—	03	—	01	27	36	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02
जर्जर (पुनर्निर्माण)	—	—	05	06	03	07	03	15	02	41	—	—	02	03	01	—	—	02	01	—	09
लघु मरम्मत	04	09	22	05	14	09	20	11	04	98	04	03	07	03	04	01	01	02	—	—	25
बृहद मरम्मत	—	—	04	03	02	05	05	06	02	27	—	—	01	03	01	01	—	06	—	—	12
शौचालय युक्त	104	64	134	86	74	108	88	155	12	825	36	21	43	26	20	31	30	48	04	—	259
हैण्डपम्प युक्त	123	65	133	75	74	98	97	152	06	823	34	23	42	19	21	32	29	46	04	—	250
बाहरदीवारी	20	16	17	16	09	19	27	20	04	148	09	08	06	03	05	05	10	06	04	—	56
शौचालय विहीन	25	10	07	06	02	03	25	01	—	79	01	03	—	03	02	02	—	—	—	—	11
हैण्डपम्प विहीन	06	09	08	17	02	13	16	04	06	81	03	01	01	10	01	01	02	02	—	—	21
बाहरदीवारी विहीन	109	58	124	76	67	92	86	136	08	756	28	16	37	26	17	28	20	42	—	—	214

स्रोत - किमाणीय आकड़े

19/20

संलग्नक 2.8

विकास खण्ड वार भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

विकास खंड	नवीन		पुर्ननिर्माण		अतिरिक्त कक्षा/कक्ष		पेयजल सुविधा		शौचालय		चाहरदीवारी	
	प्राथमिक	उच्च प्राथ०	प्राथमिक	उच्च प्राथ०	प्राथमिक	उच्च प्राथ०	प्राथमिक	उच्च प्राथ०	प्राथमिक	उच्च प्राथ०	प्राथमिक	उच्च प्राथ०
बसरेहर	09	27	-	-	98	5	6	03	25	01	109	28
सैफई	03	10	-	-	64	4	9	01	10	03	58	16
बढपुरा	07	20	05	02	130	10	8	01	07	-	124	37
चकरनगर	11	20	06	03	87	7	17	10	06	03	76	26
भरथना	09	14	07	-	85	5	13	01	03	02	92	28
ताखा	12	18	03	01	70	11	2	01	02	02	67	17
जसवंतनगर	06	11	08	-	101	4	16	02	25	-	86	20
महेया	19	30	15	02	132	15	4	02	-	-	136	42
योग	76	150	44	08	767	61	75	21	78	11	748	214
नगरक्षेत्र	-	-	02	01	-	-	06	01	-	01	08	01
योग	76	150	46	09	767	61	81	22	78	12	756	215

संलग्नक 2.9

विकास खण्डवार असेवित बस्तियां

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियां की संख्या: जिनकी आबादी 300 से अधिक है और 15 किमी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।
1	चकरनगर	11
2	जसवन्तनगर	06
3	भरथना	09
4	वसरेहर	09
5	बढ़पुरा	07
6	सैफई	03
7	ताखा	13
8	महेवा	19
	योग	76

स्रोत - विभागीय आंकड़े

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद इटावा

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 से नीपा द्वारा विकसित डायस सॉफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है -

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	वृद्धि प्रतिशत
कक्षा 1		66370	64009	68712	3.52
कक्षा 2		67668	67885	65247	(-) 6.42
कक्षा 3		57753	65288	63921	10.67
कक्षा 4		42272	52174	53986	27.71
कक्षा 5		32658	40104	44232	35.44
योग		266721	289460	296098	11.01
जी0ई0आर0					
कुल		77.24	88.79	88.82	
बालिका		78.34	84.42	90.56	
एन0ई0आर0					
कुल		67.14	77.23	83.85	
बालिका		63.32	78.40	85.66	

जनपद के नामांकन में औसतन 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 से अधिक हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे हैं।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :-

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	686	931	35.7
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2011	2682	33.4

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 5.1 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये हैं।

ड्रॉप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	औसत
1998	9.28	12.71	18.08	17.11	-	
1999	0.50	3.47	6.81	1.70	-	
2000	0.50	5.75	16.92	14.85	-	

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्रॉप आउट दर 30.6 प्रतिशत से घटकर 27.7 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	1.30	7.38
1999	5.21	5.71
2000	0.39	6.63

रिपीटीशन दर मात्र 4.6 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.49 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक-छात्र अनुपात वर्ष 2000-01 - 1 : 49

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000-01 - 13.97

छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात (2000-01) -

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापिकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र-अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:59 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डिकेटर्स (परिषदीय)

जनपद—इटावा

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	8238	7125	5976	21339	-
1999-2000	8455	7424	6169	22048	3.32
2000-2001	8996	7880	6777	23653	7.27

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	16136	8238	-
1999-2000	17109	8455	52.39
2000-2001	19552	8996	52.58

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा-5 उत्तीर्ण लगभग 48% बच्चे कक्षा-6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

22 c

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	93	271	191%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	997	1196	20%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि० प्रा० विद्यालय संस्था	परि० उच्च प्रा० विद्यालय संस्था	उच्च प्रा० विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि०	योग (3+4)	प्रा० विद्यालय उच्च प्रा० विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	892	266	68	334	2.67 : 1
नगर क्षेत्र	39	5	14	19	2.05 : 1
योग	931	271	82	353	2.6 : 1

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा-5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6-8 अनुनागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:2.6 है।

नियोजन प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बालिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट नं दी गयी है। इन जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित की गई

- ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वास्तियों के क्या उपाय हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र - अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वास्तियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उत्पन्न सूचना एकत्र करने के पश्चात् निम्न कार्य ग्राम वास्तियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण को तैयारी -

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक-युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण फ़ॉर्मों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्र की गईं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री-पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में पुनः उपरोक्त सभी सूचनाएँ दोहराई गईं ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनाएँ उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका सन्वित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998-99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998-2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दां श्रेणी में दिभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय-7 में दर्शाया गया है।

- ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001-2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002-2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002-2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान -

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनसद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया यथा - प्रथम चरण एक जुलाई से 08 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण -

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नहीं जाते हैं।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रमारी माननीय मंत्री श्री बाबू राम हरित जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाड़ी, कार्यकर्त्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे हैं अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके सनकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित

होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 416 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 83 वार्डों के कुल 262536 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इन्में 6-14 वय वर्ग के कुल 339409 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 6-11 वय वर्ग 217621 के बच्चे थे।

द्वितीय चरण -

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जिन अतिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नहीं जो रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिज्ञात किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ-साथ समय-समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालय के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियां की गयीं। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर-घर जाकर जन सम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6-11 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों को चिन्हित किया गया। और इनमें से कुल 200456 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के कुल 67227 का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। इस प्रकार अभियान के अंत में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या निम्नलिखित तारणी में दर्शायी गई है जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय में नामांकित किया जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11 वय वर्ग	114428	103193	217621	104463	95993	200456	9965	7200	17165
11-14 वय वर्ग	55323	16245	101568	36966	30261	67227	18357	15984	34341

“स्कूल चलो अभियान” के कारण “सर्व शिक्षा अभियान” के नियोजन में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। स्कूल चलो अभियान के कारण जन जागरूकता एवं जन सहभागिता का जिले स्तर पर, ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर पहले से ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सका।

पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों से सर्व शिक्षा अभियान में व्यापक अन्तर है यह एक युद्ध स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है साथ ही साथ शालात्याग की दर को भी शून्य तक लाना मुख्य उद्देश्य है पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों में शालात्याग शून्य करने के कई प्रयास किए गए परन्तु इसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शाला प्रतिशत नामांकन एवं शालात्याग की दर 2003 तक शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सर्वप्रथम जिले में अभियान की कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

- (1) प्राचार्य, डाक्ट
- (2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
- (3) लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा
- (4) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
- (5) जनपद से एक चयनित परियोजनाधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)

(6) वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट

(7) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त टीम ने सीनेट द्वारा अडोजित प्रशिक्षण में भाग लिया तथा योजना तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात् जिले स्तर पर त्तर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गयी जिसमें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर बस्तियों की चिन्हांकन विकास खण्डवार असेवित बस्तियों, स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिकरण, शालात्यागी बच्चों का चिन्हिकरण, काम काजी बच्चों का चिन्हिकरण किया गया। तत्पश्चात् कोर गुप के सदस्यों ने चिन्हांकित बस्तियों में बैठक (एफजीडी) की जिसमें बस्ती विशेष की मूल समस्याएं उभर कर आयी जिसके आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया।

इसके पश्चात् ब्लॉक स्तर पर प्रधानों की एक सम्मिलित बैठक बलाई गयी जिसमें समुदाय में शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्य उभरकर आये साथ ही शिक्षकों के साथ की गयी बैठक में समुदाय की अपेक्षाओं पर विचारा विमर्श किया गया एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इसके पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर एक योजना तैयार की गयी जिसमें विकास खण्ड अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग लिया गया जिससे योजना को अन्तिम रूप दिया जा सका।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समन्वय बैठक की गयी जिसमें जिले की शिक्षा के परिदृश्य में समस्याओं एवं उसे समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी। विभिन्न बैठकों (एफजीडी) में उभर कर आये नुददे तथा सुझाव निम्न सारणी में दिये गये हैं:-

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे हैं उनका संक्षिप्त विवरण
12.02.2001	समाकक्ष जिला- धिकारी इटावा	जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा प्राचार्य डायट, कार्यक्रम अधिकारी जिला समाजकल्याण अधिकारी पंचायत राज अधिकारी लोक निर्माण विभाग नेहरू युवा केन्द्र युवक मंगल दल आदि। प्रतिभागी - 25	(1) गारिक परीक्षा की समीक्षा ग्राम शिक्षा समिति की प्रत्येक नाह की बैठक में की जाय। (2) केंपल असेवित बस्तियों में ही विद्यालय खोले जायें। (3) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को समय सारणी में रखा जाय। (4) कक्षा 1 जो दो भागों का किया जाये साथ ही प्रदेश के समस्त उम्र 4 वर्ष रखी जाय।

			<p>(5) विकारा खण्ड स्तर पर शिक्षकों की व्यावस्था वा उत्तरदायित्व ब्लाक स्तर के अधिकारी का हो।</p> <p>(6) न्याय पंचायत स्तर पर एक-एक संगीत एवं व्यायाम शिक्षक की व्यवस्था की जाय।</p> <p>(7) कम्प्यूटर की महत्ता को देखते हुए कक्षा तीन से कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।</p> <p>(8) बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण विधिवत कराया जाये।</p> <p>(9) छात्रवृत्ति के स्थान पर छात्रों को शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकें कापियाँ एवं ड्रेस की व्यवस्था करायी जाय।</p> <p>(10) योग्यतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाय।</p> <p>(11) प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जाय।</p> <p>(12) भवन निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा ही कराया जाय।</p> <p>(13) गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर तक प्राप्त नहीं हो पाया है। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जायें।</p>
10.02.2001	वीना (बसरेहर)	बी०डी०सी० वीना बी०डी०सी० कीरतपुर ग्राम प्रधान वीना ग्राम प्रधान सरसई हेल् ग्राम प्रधान परौली रमाइन ग्राम पंचायत सदस्य जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत सदस्य करी महिला ग्राम पंचायत सदस्य थुलरई (प्रतिभागी - 22)	<p>(1) अध्यापकों की कमी।</p> <p>(2) चोरस शिक्षण विधि।</p> <p>(3) अध्यापक का अभिभावक से आपसी तारतम्य न बैठना</p> <p>(4) महिलाओं के अशिक्षित होने से बच्चों में शिक्षा के प्रति उदासीनता।</p> <p>(5) महिलाओं की सामाजिक स्थिति नीचे है तथा अभी भी बालिकाओं के साथ भेदभाव बरता जाता है और इन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता है या बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है।</p>

19.02.2001	कामेत (वढपुरा)	ब्लाक प्रमुख बढपुरा क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान कामेत बी०डी०सी० कामेत (प्रतिभागी - 15)	<p>(1) स्थानान्तरण का गलत नियम एवं अध्यापकों का ठहराव एक ही विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक न हो।</p> <p>(2) दरसु प्रभावित एवं बीहड़ क्षेत्र का होना। जिसके कारण बालकों विशेष तौर पर बालिकाओं में असुरक्षा की भावना होती है और इससे नामांकन तथा ठहराव दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।</p> <p>(3) विद्यालय निर्माण की घनराशि सामान्य स्थानों से अधिक होना।</p> <p>(4) अध्यापकों से केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाये।</p>
23.02.2001	ककराही (ताखा)	ग्राम प्रधान ककराही जिला पंचायत सदस्य बी०डी०सी० सदस्य ग्राम सभा खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी अन्य ग्राम के वरिष्ठ नागरिक (प्रतिभागी -21)	<p>(1) अध्यापकों की कमी को दूर किया जाये।</p> <p>(2) शिक्षकों से गैर विभागीय कार्य न लिया जाये।</p> <p>(3) अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाये।</p> <p>(4) सस्ती शिक्षा होने से अभिभावकों में नीरसता।</p> <p>(5) अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता न होना।</p> <p>(6) अभी भी रुढ़िवादिता है। जिसके कारण शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता।</p>
23.02.2001	सैंफई (सैंफई)	ग्राम प्रधान सैंफई उप प्रधान सैंफई ब्लाक प्रमुख सैंफई बी०डी०सी० सैंफई शिक्षकगण सैंफई (प्रतिभागी - 37)	<p>(1) छात्रवृत्ति गरीबी स्तर के नीचे के बच्चों को दी जाय।</p> <p>(2) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से कराया जाय।</p> <p>(3) अध्यापकों से परीक्षाफल की जवाबदेही।</p> <p>(4) बच्चों को विद्यालय न भेजने वाले अभिभावकों को समाज द्वारा प्रताड़ना दी जाय।</p>
24.02.2001	जाहरपुर (चकरनगर)	ग्राम प्रधान बिड़ौरी बी०डी०सी० सदस्य उप प्रधान ग्रामवासी, क्षेत्रीय प्रतिष्ठितजन। (प्रतिभागी - 23)	<p>(1) दरसु प्रभावित एवं बीहड़/चल क्षेत्र होने के कारण शिक्षकों की कमी।</p> <p>(2) अध्यापकों के लिये इसी क्षेत्र से बी०टी०सी प्रवेश परीक्षा के लिये चयन में वरीयता प्रदान की जाय।</p>

27.02.2001	इटावा	<p>श्री जवर सिंह यादव अध्यापक प्राथमिक शिक्षक संघ इटावा श्री महेन्द्र सिंह पुरधाना प्रचार मंत्री श्री जितेन्द्र त्रिपाठी मंत्री श्री अनीता टण्डन समिति सदस्य आदि (प्रतिभागी - 25)</p>	<p>(1) अध्यापक एवं अभिभावक से नीरसता। (2) प्रधानों का अध्यापकों पर अनावश्यक दबाव। (3) स्थानान्तरण समय पर ही किये जायें एवं समायोजन भी वर्ष में एक बार ही किये जायें। (4) स्थानीय गुटबन्दी का अध्यापक पर दबाव। (5) पाठ्य क्रम की जानकारी का अभाव।</p>
------------	-------	--	--

सोशल एसेसमेंट स्टडी :-

कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी जो ड:0 (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा किया गया, से ज्ञात होता है कि सनाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनके विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक एवं परिवारिक कारण हैं, इनके मुख्य विन्दु निम्न प्रकार हैं:-

1. अध्ययन से पता चलता है कि कानपुर में सभी वर्गों गरीब-अमीर, हिन्दू-मुसलमान, श्रमिक, किसान, और नौकरी पेंशा की जनसंख्या से ड्रापआउट आया है। इसलिए ये केवल सनाज के उपेक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सभी के बीच से है।
2. विद्यालय छोड़ देने वाली अधिकांश बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं परन्तु कुछ सामाजिक कारणों अथवा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रतिकूल व्यवहार, अलग शौचालयों का न होना तथा घर से विद्यालयों की दूरी आदि कारणों से उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
3. हास-अवरोध (ड्राप आउट) वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता-पिता विद्यालयों में बच्चों से निम्न स्तर के कार्य कराये जाने के कारण उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। उनके माता-पिता ने अनुमति किया कि निम्न स्तर के कार्य करने से उनके बच्चे उच्च स्तर की अपेक्षा हीन सामाजिक स्थिति में पहुँच जायेंगे।
4. अनिर्भावक सहशिक्षा वाले विद्यालयों, जो जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में लागू हैं, में अपनी लड़कियों को भेजने में संकोच करते हैं। गाँवों में बच्चे बढ़ती उम्र में विद्यालय जाना आरम्भ करते हैं और कक्षा-3 या 4 तक पहुँचते-पहुँचते वे 12-13 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में मुस्लिम तथा कुछ रूढ़िवादी परिवार जैसे-यादव, लड़कियों को लड़कों के साथ रहना पसन्द नहीं करते हैं। और इस प्रकार लड़कियों को शिक्षा पूर्ण किये बिना ही रोक दिया जाता है। ग्रामीण, परम्परावादी तथा रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए 10-14 वर्ष की बालिकायें अधिक मात्रा में विद्यालय छोड़ देती हैं।
5. हमारी खोजों ने सुझाया कि कानपुर में विभिन्न अध्ययनों द्वारा सुझाये गये आर्थिक कारकों से बालिका ड्राप आउट प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अधिकांश परिवारों में बालकों का विद्यालय जाना जारी रहता है जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है। दूसरे, इन परिवारों की आय खर्च दहन कर सकने योग्य है क्योंकि इनकी आमदनी 1500 से 2500 रुपये प्रतिमाह की है इसलिए वे अपने लड़कों के साथ लड़कियों को भी स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा परियोजना (बी0ई0डी0) में लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है, इसलिए लड़कियों के ड्रापआउट का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मान्यतायें हैं, जिसके कारण लड़कियों के अभिभावकों में इच्छा शक्ति का अभाव है।
6. स्कूल छोड़ने वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चों से यह पता चलता है कि उन्होंने घरेलू कार्यों अथवा नज़दूरी के कारण विद्यालय छोड़ है। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने की उम्र पर पहुँचने पर बच्चों के माता-पिता उन्हें विद्यालय से हटा लेते हैं। बहुत से अभिभावकों ने बताया कि उनका अनुभव है कि शिक्षा का उनके लिए विशेष उपयोग नहीं है बल्कि घरेलू कार्यों में और आमदनी बढ़ाने वाले

कार्यों में बच्चों की आवश्यकता है। अभिभावकों ने अनुभव किया कि यदि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये तो यह उनके भविष्य के लिए अधिक उपयोगी होगी।

7. बहुत से बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि दूरी के कारण उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जब एक दिन में बच्चों के द्वारा तय की गयी दूरी का हनने अंकलन किया तो यह पाया कि यह 3 या 4 किमी:0 हो जाती है। 11-12 वर्ष के बच्चे के लिए यह दूरी तय करना कठिन कार्य है इसलिए अधिकांश संख्या में बच्चे पाँचवी कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं।

8. बच्चों को पढ़ने-लिखने और रटने तक सीमित रखने वाली वर्तमान शिक्षा विधि भी ड्रॉप आउट का कारण है। अध्ययन से पता चला कि कुल बच्चों में केवल 12 प्रतिशत बच्चे ही इस विधि से संतुष्ट हैं जबकि 88 प्रतिशत बच्चों को इस शिक्षण विधि से कठिनाई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान शिक्षण विधि दोषपूर्ण है और यह भी ड्रॉपआउट को बढ़ावा दे रही है।

9. ड्रॉप आउट वाले बच्चों की कठिनाई का दूसरा कारण पाठ्य-पुस्तकों द्वारा कराये जाने/पढ़ाये जाने वाले कक्षा कार्य की है। ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए कोई विशेष पाठ्य-पुस्तकें नहीं हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में वही पाठ्य-पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, जो राज्य सरकार के अन्य शहरी स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं ये पाठ्य-पुस्तकें शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गयी हैं। सांस्कृतिक रूप से उन्नत वर्ग के बच्चे इन पुस्तकों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों ने बताया कि विद्यार्थी इन पुस्तकों की भाषा समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये पुस्तकें उनके सामाजिक वातावरण से मेल नहीं खाती हैं इसलिए ये बच्चों में रुचि पैदा करने में असमर्थ है। यह व्यर्थ की बात है कि इन विद्यालयों के बच्चे उपेक्षित और कृषक वर्ग से आते हैं, बल्कि पुस्तकें उन्हें उनकी योग्यता-क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रही है। बच्चों को दो तरह की दुनिया के बीच उलझना पड़ता है। एक, उनकी संस्कृति पर आधारित और दूसरी, शहरी संस्कृति पर आधारित। पुस्तकें अधिक मात्रा में शहर आधारित हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से रुचि खो देते हैं।

10. विद्यालयीय पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया कलाप बच्चों को न केवल सामाजिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाते हैं एवं विद्यालय और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि इन क्रिया कलापों में सहभागित्व विद्यार्थियों के सामाजिक कार्य व्यवहार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। केवल 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने विद्यालय के आन्तरिक खेल-कूदों में भाग लिया जबकि 65 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी भी प्रकार की क्रिया-कलाप में भाग लेने से वंचित बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ड्रॉप आउट वाले अधिकांश बच्चे विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाकलापों, जिन्हें शिक्षा के साथ आवश्यक समझा गया से वंचित रहते हैं।

11. उल्लेखनीय है कि सोशल एसेसमेंट स्टडी ने निकाले गये कानपुर की शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

डॉ० (श्रीमती) रत्ना सरन, आई०आई०टी०, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वह जनपद इटावा में भी लागू होते हैं। अतः सभी सुझावों को सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई गई रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज / विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है-

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है-

- 1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- 2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
- 3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
- 4- केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
- 5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र-छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने-जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/- व 480/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्री से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेंस स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1-8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :-

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक-बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना - 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना - 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए तिनत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 1.7 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध होने पर इन आँकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट' रेशियो मेथड से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1
प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद - इटावा

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	105822	93843	199665	85716	76013	161729	81
2001-02	107621	95438	203059	94706	83986	178692	88
2002-03	109451	97061	206511	103978	92208	196186	95
2003-04	111311	98711	210022	113537	100685	214222	102
2004-05	113203	100389	213592	122260	108420	230680	108
2005-06	115128	102096	217223	128943	114347	243290	112
2006-07	117085	103831	220916	134648	119406	254054	115
2007-08	119076	105596	224672	139318	123548	262866	117
2008-09	121100	107391	228491	144109	127796	271905	119
2009-10	123159	109217	232376	147790	131060	278851	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद - इटावा

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	44033	39049	83082	35667	31630	67296	81
2001-02	44782	39713	84494	38064	33756	71820	85
2002-03	45543	40388	85931	40533	35945	76478	89
2003-04	46317	41075	87392	43075	38199	81274	93
2004-05	47104	41773	88877	45691	40520	86211	97
2005-06	47905	42483	90388	48384	42908	91292	101
2006-07	48720	43205	91925	50668	44933	95602	104
2007-08	49548	43940	93488	52521	46576	99097	106
2008-09	50390	44687	95077	54421	48262	102683	108
2009-10	51247	45446	96693	56371	49991	106362	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की स्नान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्रॉप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर
2000-01	34
2001-02	30
2002-03	26
2003-04	21
2004-05	16
2005-06	11
2006-07	5
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्रॉप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगा।

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre

National Institute of Educational

Planning and Administration,

17-B, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi 110016

DOC, No

Date

D-11478

29-07-2002

35

अध्याय—5

समस्याएँ व रणनीतियाँ

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जानी है। स्कूल से बाहर/ शालात्यागी बच्चों को विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शतप्रतिशत नामांकित कराने, उनका ठहराव बनाये रखने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि से चर्चा में जो समस्याएँ एवं मुद्दे उभरकर आये उनके समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियाँ निम्न सारणी में वर्णित की गई हैं।

समस्याएँ	रणनीति
<p>अ. शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी</p> <p>1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन</p>	<p>1— सामाजिक चेतना उत्पन्न करना जिससे बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में परिवर्तन हो सके। इसके लिये महिला मंगलदल, महिला समाख्या, जन सम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं जागरूक नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।</p>

समस्याएं	रणनीति
<p>2. शिक्षा की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह</p>	<p>2. वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता पर लगे प्रश्न चिन्ह के निराकरण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा जायगा जिससे विद्यार्थियों में आत्म निर्भरता एवं करके सीखने का विकास हो सके साथ उनका आर्थिक पिछड़ापन भी दूर हो सके। विशेषकर बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई निर्माण कार्य में चटाई निर्माण, मोमवत्ती बनाना आदि के सिखाने का प्राविधान किया जायेगा।</p>
<p>3. असेवित वस्तियों में विद्यालयों का अभाव</p>	<p>3. 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों एवं वस्तियां जहां पर 1.5 किमी की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं है वहां पर शिक्षा के लिये विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही 1 किमी की दूरी पर जहां प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है तथा 6 से 11 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध है वहां पर E.G.S. केन्द्र खोल कर तथा ड्राप आउट होने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए A.I.E केन्द्र खोलकर शिक्षा प्रदान की जायेगी।</p>

समस्याएं	रणनीति
<p>ब. नामांकन सम्बन्धी समस्या</p> <p>1. नामांकन के सही समय की जानकारी न होना</p> <p>2. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरुचि</p> <p>3. अध्यापक का समाज से अलगाव</p>	<p>1. नामांकन के सही समय की जानकारी न होने के कारण बच्चों का प्रवेश सत्र के आरम्भ में नहीं हो पाता इसके लिए जून के आखिरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेश हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।</p> <p>2. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए जुलाई में दो सप्ताह सामान्य जन सम्पर्क अध्यापक, अभिभावकों की गोष्ठी एवं नुक्कड़ नाटक, कठपुतली आदि का आयोजन किया जायगा जिससे अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायगा।</p> <p>3. अध्यापकों को समाज से जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जायेंगीं जिससे अध्यापक एवं समाज में पारस्परिक सद्भावना सहयोग की भावना जागृत की जायगी। महिला शिक्षिकाओं द्वारा घरों की महिलाओं से सम्पर्क कर उन्हें शिक्षा के गुणों के बारे में जागृत कर महिलाओं के प्रति लगाव उत्पन्न किया जायगा।</p>

समस्याएं	रणनीति
<p>स. उहराव सम्बन्धी</p> <p>1. बच्चों में विद्यालय के प्रति अरुचि</p> <p>2. मानक के अनुसार अध्यापकों की कमी</p> <p>3. अभिभावकों में शिक्षा के अलावा अन्य चीजों की मान्यता</p>	<p>1. विद्यालय वातावरण अरुचिकर होने के कारण छात्र विद्यालय से पलायन कर जाते हैं इसके लिये विद्यालय का वातावरण रूचिकर बनाया जायगा जिसमें बच्चों को खेल सांस्कृतिक एवं क्रियात्मक क्रिया कलापों का समायोजन करते हुए क्षेत्र ग्राम आदि का समावेश किया जायगा।</p> <p>2. विद्यालय में 40:1 के अनुपात में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। जिससे विद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात सही किया जायगा।</p> <p>3. अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिभावकों की गोष्ठियों का आयोजन किया जायगा एवं शिक्षा की महत्ता के बारे में अवगत कराया जायगा।</p>

समस्याएं	रणनीति
<p>द. गुणवत्ता सम्बन्धी</p> <p>1. मानक के अनुसार अध्यापकों का न होना</p> <p>2. अध्यापकों का विद्यालय कम ठहराव</p> <p>3. शिक्षण कार्य में अरुचि</p>	<p>1. मानक के अनुसार अध्यापकों के न होने के कारण शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ रही है इसके लिए 40:1 के अनुपात में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्रस्तावित है साथ ही बालिकाओं के लिए विशेषकर महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जायगी।</p> <p>2. अध्यापक विभागीय गैर विभागीय सूचनाओं के संकलन में अधिक समय बरवाद न करें इसके लिए विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर सूचनाओं का संकलन कराया जायगा, जिससे अध्यापक का ठहराव विद्यालय में अधिक हो सके।</p> <p>3. अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरुचि को दूर करने के लिए सतत मूल्यांकन कराया जायगा इसके साथ ही अच्छे परीक्षा फल देने वाले अध्यापकों को पुरस्कार एवं खराब परीक्षा फल देने वाले अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक कर विचार किया जायगा।</p>

समस्याएं	रणनीति
<p>य. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी</p> <p>1. अधिक बच्चों का प्रवेश</p> <p>2. विशेष वर्ग के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था</p>	<p>1. छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण कराया जायगा साथ ही विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए पेड़ पौधों, क्रीड़ांगन का विकास कराया जायगा।</p> <p>2. विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के बालकों के लिए विशेष शिक्षा सुविधा का प्रावधान किया जायगा।</p>

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनायी जायगी।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (प्रथम)

नवीन औपचारिक विद्यालय

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 1993 से सन् 2000 तक कुल 422 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 211 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। पूर्व में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत कुछ असेवित बस्तियाँ जनसंख्या मानक पूरा न कर पाने के कारण छूट गयी थी। वर्तमान में इन असेवित बस्तियों की आबादी मानक के अनुरूप है। अतः इन असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना आवश्यक है। इसके लिए निम्न कार्ययोजना प्रस्तावित है।

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना—

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ऐसी असेवित वस्तियों एवं ग्रामों में की जानी प्रस्तावित है जिनकी आबादी 300 तथा दूरी 1.5 किमी या इससे अधिक है। जनपद में कराई गई माइक्रोप्लानिंग के आधार पर 76 असेवित वस्तियों व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिससे प्रत्येक वस्ती एवं ग्राम को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। विकास खण्डवार असेवित वस्तियों / ग्रामों की संख्या सारणी संख्या 6.1 में दर्शायी गई है।

विकास खण्डवार असेवित ग्राम/वस्तियाँ

क्र०सं०	विकास खण्ड	असेवित ग्राम/वस्तियों की संख्या
1	वसरेहर	09
2	सैफई	03
3	जसवंतनगर	06
4	बढ़पुरा	07
5	चकरनगर	11
6	महेवा	19
7	ताखा	12
8	भरथना	09
योग		76

स्रोत - साइक्रोप्लानिंग डाटा

उक्त असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में कराया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में 40 एवं द्वितीय वर्ष में 36 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा जिससे असेवित ग्रामों/वस्तियों के बच्चों को शीघ्र ही विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकेगी। वर्ष 2002-2007 की अवधि में 46 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित वस्तियों में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना—

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/वस्तियाँ जिनकी कुल आवादी 800 या उससे अधिक तथा 3 किमी. की दूरी पर उच्चप्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनकी संख्या 86 है जिसे सारणी 2.4 में दर्शाया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा, जिसके अनुसार जनपद इटावा में 150 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का आधार निम्नवत है:—

कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	931
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	76
कुल प्राथमिक विद्यालय	1007
1:2 के अनुसार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	$1007 / 2 = 503$
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	271
हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय	82
कुल विद्यालय	353
इस प्रकार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	$503 - 353 = 150$

उपरोक्त मानक के अनुसार 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के पश्चात सभी असेवित वस्तियाँ स्वतः आच्छादित हो जायेंगी। नवीन प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या विकास खण्डवार सारणी 6.2 में दर्शायी गयी हैं।

वर्ष 2002-2007 की अवधि में 130 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का वित्तीय प्राविधान रखा गया है, जो मानक के अनुसार असेवित वस्तियों, जिनमें कक्षा-5 उत्तीर्ण कम से कम 25 बच्चें उपलब्ध हों, में खोले जायेंगे।

सारणी 6.2

प्रस्तावित नवीन विद्यालय

क्र०सं०	विकास खण्ड	1:2 के अनुसार प्रस्तावित उ.प्रा.वि. ---
1	बरारेहर	27
2	सौंफई	10
3	जसवंतनगर	11
4	बढ़पुरा	20
5	चकरनगर	20
6	महेवा	30
7	ताखा	18
8	भरथना	14
योग		150

उपरोक्त विद्यालय भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा जिसका तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) द्वारा कराया जायेगा।

3. शिक्षक व्यवस्था—

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में 1 प्र०अ० तथा 1 स०अ० की व्यवस्था प्रस्तावित है प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 प्र०अ० तथा 4 सहायक अध्यापकों सहित कुल 5 अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। 5 अध्यापकों में से 1 विज्ञान, 1 गणित तथा 1 बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु 1 महिला शिक्षिका की व्यवस्था की जायेगी। प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापकों में से 1 प्राथमिक अध्यापक एवं 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी।

4. पेयजल, शौचालय एवं चाहरदीवारी—

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिस्थापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक / बालिकाओं के लिए प्रथक-प्रथक शौचालय निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इनकी लागत विद्यालय की यूनिट कास्ट में शामिल है।

5. शिक्षण सामग्री / काष्ठोपकरण

प्राथमिक स्तर—

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग बी०ई०पी० की भांति सर्व शिक्षा अभियान में भी किया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री का क्रय किया जायेगा— मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्युपमेन्ट— ढोलक, मजीरा, हार्मोनियम, बांसुरी आदि। क्रीड़ा सामग्री— फुटबॉल, वॉलीबॉल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूदने की रस्सी। कलासलूम टीचिंग मैटीरियल— गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लॉक आदि। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर—

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 1. प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रतियाँ। 2. कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट। 3. अध्यापक संदर्शिकाओं का एक सेट। 4. शब्दकोष— हिन्दी, अंग्रेजी—2 5. एटलस। 6. अध्यापकों के लिये विश्वकोष। 7. इसके अतिरिक्त 9 चार्ट 15 मानचित्र (भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, विश्व, एशिया, भारत, राज्य, जिला), ग्लोब, विज्ञान किट, गणित किट, ऑडियो कैसिट, प्लेयर टूइनवन। 8. क्रीड़ा सामग्री— फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्कीपिंग रोल, एयरपम्प, डम्बल्ल्स, हार्मोनियम, ढोलक, बांसुरी, मजीरा। 9. काष्ठोपकरण— कुर्सी, मेज, (प्रत्येक अध्यापक के लिये) 10. अन्य सामग्री— बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, अलमारी, दरी, पत्र-पत्रिकायें (विज्ञान प्रगति, आविष्कार, बालभारती एवं एक दैनिक समाचार पत्र)। उपरोक्त सभी सामग्रियों का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कराने का वर्षवार कार्यक्रम अर्गांकित सारणी में दर्शाया गया है।

प्रस्तावित कार्य योजना की वर्षवार तालिका

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2001-2002	—	—	—
2002-2003	30	20	50
2003-2004	46	40	86
2004-2005	—	40	40
2005-2006	—	50	50
2006-2007	—	—	—
2007-2008	—	—	—
2008-2009	—	—	—
2009-2010	—	—	—
योग	76	150	226

6. निर्माण कार्यदायी संस्था -

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी इटावा की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्रामशिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जाग्रत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के अंक्लन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय— 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (द्वितीय)

शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक योजना / वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना :

जनपद में 6 से 11 वयवर्ग की सकल नामांकन दर 94.3 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष 33.8 प्रतिशत ड्रॉप आउट है। इसी प्रकार 11 से 14 वयवर्ग में कुल छात्र नामांकन 75.2 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष 20 प्रतिशत ड्रॉप आउट है। इस प्रकार शालात्यागी बच्चों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इनमें अधिकांश बच्चे कामकाजी हैं। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है।

सूक्ष्म नियोजन का आधार—

सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था। उसी को आधार मानकर विकास खण्डवार निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्थ संकलित की गयी है। उपरोक्त माइक्रो प्लानिंग एवं सर्वेक्षण द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में पुनः ग्राम/बस्तीवार परिवार सर्वेक्षण कराया जायेगा ताकि उन सभी बच्चों को ध्यान में रखा जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित अथवा दूर हैं। किसी भी योजना की सफलता उसके नियोजन पर निर्भर करती है। ये सर्वेक्षण इसलिये भी आवश्यक है कि जैसे-जैसे परियोजना वर्ष 2002-2003 में एवं इसके बाद आगे बढ़ती जायेगी, ई0जी0एस0, ए0आई0ई0, ग्रीष्म कालीन शिविर आदि कार्यक्रमों को बच्चों के लक्षित/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सकेगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी० की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही साथ 300 आबादी से अधिक ऐसी बस्तियां जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयों का निर्माण कार्य होने तक ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद इटावा में बसरेहर, बड़पुरा, जसवन्तनगर, सैंफई, भरथना, महेवा, ताखा व चकरनगर 8 विकास खण्ड हैं। चकरनगर व बड़पुरा का क्षेत्र बीहड़ांचल है एवं शैक्षिक स्तर निम्न है। बीहड़, नदियों का किनारा व बीहड़ में रहने वाले दस्युओं के भय से जनसमुदाय बच्चों को विद्यालय भेजने से डरता है। साथ ही जनपद का दूरस्थ विकासखण्ड ताखा में भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय पहुँच से दूर है। शेष विकास खण्डों में शिक्षा का स्तर औसत है।

शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक/नवाचार योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 6-14 वय वर्ग के बच्चे हैं। विकलांग बच्चों की आयुसीमा 18 वर्ष तक है।

इस योजना के अन्तर्गत 6-11 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा E.G.S. केन्द्र में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9-14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं उन्हें वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा।

सर्वेक्षण

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वे के आंकड़े माइक्रो प्लानिंग के आधार पर प्राप्त किये गये हैं।

नगर क्षेत्र की माइक्रो प्लानिंग अभी नहीं हुई है। माइक्रो प्लानिंग एन0जी0ओ0 के माध्यम से

कराकर ग्रेज कोर्स की स्थापना नगर क्षेत्र में की जायेगी। पूरे नगर क्षेत्र का सर्वे कराने की अपेक्षा विशिष्ट क्षेत्रों का सर्वे कराया जायेगा जहां अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग जो अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर काम में लगाते हो :-

1. सर्वे के अनुसार 6 से 14 वर्ग के उपलब्ध बच्चे :-

बालक	बालिका	योग
169751	149438	319189

2. 6 से 14 वय वर्ग के स्कूल जाने बच्चों की संख्या - 283601 है।

रणनीति

सर्वशिक्षा योजना अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कोर्स के माध्यम से स्कूल न जाने वाले 6 से 8 वय वर्ग के 5997 बच्चों तथा 9 से 14 वय वर्ग के 29591 के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है इसमें समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। छात्र/छात्रा जो इन केन्द्रों पर पढ़ेंगे वह जिस समय भी मुख्य धारा से जोड़ने लायक हो जायेंगे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी⁰ की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई⁰जी⁰एस⁰) खोले जाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ 300 आबादी से अधिक ऐसी बस्तियां जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है, ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयों का निर्माण कार्य होने तक ई⁰जी⁰एस⁰ केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके लिए जनपद में 162 ई.जी.एस. एवं 54 ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। ई.

जी.एस. तथा ए.आई.ई. के लिए चिन्हित बस्तियों का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

सारणी 7.1

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक

एवं

नवाचार शिक्षा योजना

हेतु चिन्हित बस्तियों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	पहचान किये गये केन्द्रों की संख्या	
	E.G.S	A.I.E. नवाचार नाम
1. सैफई	07	—
2. बसरेहर	13	—
3. जसवन्तनगर	13	7
4. बड़पुरा	12	10
5. भरथना	10	8
6. ताखा	10	10
7. महेवा	10	10
8. चकरनगर	11	9
9. नवीन विद्यालय स्थलों पर	76	—
योग	162	54

स्रोत — अद्यतन सर्वेक्षण

कार्यक्रम

शिक्षा की पहुंच के विस्तार हेतु जनपद इटावा में निम्नांकित कार्यक्रम बनाये गये हैं—
ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना : जनपद इटावा में निम्नलिखित बस्तियों में ई.जी.एस.
केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है।

1. विकास खण्ड सैफई— 1. डेरा बंजारन, 2. अमसीपुर, 3. सुखदासपुर, 4. ओझा,
5. ककरारा, 6. मानिकपुर, 7. रकुईया
2. विकास खण्ड बसरेहर— 1. नगला मेंहदिया, 2. टिकूपुरा, 3. नं0 ठकुरी,

4. शिवराजपुर, 5. शिवपुरी, 6. कंबूली, 7. नवलपुरा,
 8. बखर, 9. शिमरिया, 10. लालपुरा, 11. मुकन्दपुरा,
 12. कलेपुरा, 13. नं० हरनारायण।
3. विकास खण्ड जरावन्तनगर— 1. हीरारिंह, 2. ज्वलापुर, 3. नं० झीला, 4. सौंदपुर,
 5. हनुमन्त खेडा, 6. जलपोखर, 7. दोदुआ, 8. गलूपुरा,
 9. विलासपुर, 10. नं० हुलासी, 11. नं० गोकुल,
 12. कछपुरा, 13. नं० लच्छी।
4. विकास खण्ड बढपुरा— 1. कृष्णानगर, 2. अड्डा लखनुपुरा, 3. मनीनगर,
 4. पुरातुलतसी, 5. भांवर, 6. अड्डा खलक, 7. बूसा,
 8. नं० फुंदी, 9. अड्डारामसिंह, 10. नं० हरजू,
 11. पुरा भगवानदास, 12. नं० तार,
5. विकास खण्ड भरथना— 1. न० राघे, 2. कीरतपुर, 3. कटहरा, 4. न० रागलाल,
 5. न० बनी, 6. न० नया, 7. तिलयानी, 8. मकहरा,
 9. न० भूरे, 10. न० खरगजीत।
6. विकास खण्ड ताखा— 1. विशुनपुरा, 2. जुसराजपुर, 3. सुजानपुरा, 4. कनकुआ,
 5. ध्यानपुरा, 6. प्रतापपुरा, 7. छिदरिया, 8. न० पीपल,
 9. घासीपुरा, 10. न० महासिंग।
7. विकास खण्ड महेवा— 1. भीमनगर, 2. न० भजू, 3. बिहारीपुरा, 4. नया नगला,
 5. चमरपुरा, 6. न० चंदी, 7. आनहार, 8. खौद, 9. हनुमन्तपुर,
 10. राजपुरा।
8. विकास खण्ड चकरनगर— 1. न० महानंद, 2. रनियां, 3. भजनपुरा, 4. मदौरियनपुरा,
 5. गनेशपुरा, 6. बेराला, 7. कुरछा, 8. आकडांडा,
 9. जाहरपुरा, 10. नीमडाडा, 11. प्रतापपुरा।

वैकल्पिक शिक्षा

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तथा जिनकी आयु 9 से 14 वय वर्ग की होती है। विशेषकर

वातिकारों, कामकाजी, श्रमिक बच्चे का वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इसके लिये 9 से 14 वय वर्ग के कम से कम 20 बच्चे ड्राप एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चे उपलब्ध होंगे वहाँ पर नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढाई (जिस स्तर के बच्चे होंगे) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य व प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जायेगा।

नवाचार शिक्षा केन्द्र की स्थापना

6-11 एवं 11 से 14 वय वर्ग के ड्राप आउट बच्चों के लिए केन्द्र निम्नलिखित बस्तियों में प्रस्तावित हैं-

विकास खण्ड	नवाचार केन्द्रों की सूची
1. जसवन्तनगर	1. न0 गड़रिया, 2. श्यामनगर, 3. न0 भाट, 4. बिहारीपुर, 5. न0 रामजीत, 6. रतनगढ़, 7. ईश्वरपुरा।
2. चकरनगर	1. तमराकोला, 2. बहालिया, 3. न0 महानंद, 4. विधापुरा, 5. पुरा मलाहान, 6. प्रेम का पुरा, 7. कोटरा, 8. नीमरी, 9. रामफल की गढ़िया।
3. भरथना	1. न0 चमारान, 2. छोला, 3. डेरा बंजारान, 4. ककरईया 5. मजीरपुर, 6. मुशी का पुरा, 7. गजनिया, 8. तुरैया।
4. बढपुरा	1. अडंडा सती, 2. मडैया पछायगांव, 3. निहालपुरा, 4. जमघर, 5. खांद, 6. हरसौली, 7. नारायनपुरा, 8. मडैया सिलायता, 9. भाऊपुरा कछार, 10. असवा पश्चिमी कछार,
5. महेवा	1. मल्हूपुर, 2. हिमायूपुर, 3. लवारपुरा, 4. बिरहाई, 5. हलूपुरा, 9. भगौती, 7. न0 हीरालाल, 8. कुन्दनपुर, 9. तुर्कपुर, 10. नवादाखुर्द.
6. बसरेहर	-निल-

7. रौफई

-निल-

8. ताखा

1. अठावर, 2. जाफरपुरा, 3. नो बले, 4. बगकटी,

5. तैयापुर, 6. नो खलक, 7. हिरमानी, 8. महुआ,

9. ऊसराहार, 10. मोहरी,

ब्रिज कोर्स

इटावा नगर क्षेत्र में बालश्रमिक तथा पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों के लिए जिनकी संख्या लगभग 150 है। त्रिभि गॉडल के द्वारा ब्रिज कोर्स की व्यवस्था प्रस्तावित की जाती है। इनकी आवासीय व्यवस्था के लिये एस0डी0फील्ड पर छात्रावास व जी0आई0सी0 का छात्रावास जो खाली है प्रस्तावित किया जाता है। इन छात्रावासों में 60 से 80 तक कक्ष उपलब्ध है।

केन्द्र किस प्रकार खोले जायेंगे

केन्द्र ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चयनित स्थान पर खोले जायेंगे, जहां विद्यालय न जाने वाले 25 या 30 बच्चे उपलब्ध होंगे। स्थान/कक्ष की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा ग्राम व वस्ती के ऐसे स्थान पर जहां सभी बच्चे आ सकें व किसी वर्ग समुदाय के लोगों को आपत्ति न हो।

आचार्य एवं अनुदेशक की नियुक्ति

अनुदेशक यथा संभव उसी स्थान एवं समुदाय का निवासी हो। जहां केन्द्र स्थापित करना है। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ई0जी0एस0 के लिये हाईस्कूल व उच्च प्राथमिक ए0आई0ई0 के लिए स्नातक होगी, स्नातक न मिलने पर इण्टर पास महिला को वरीयता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र प्राप्त करके परीक्षा के अंकों का प्रतिशत का ध्यान रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। नियुक्ति पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिया जायगा।

आचार्य अनुदेशक का प्रशिक्षण

एस10सी0आर0टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार डायट पर 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। उच्च प्राथमिक का प्रशिक्षण 40 दिन का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उनको नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। प्रशिक्षण में पूरे समय भाग न लेने या असत्य होने पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी उपलब्ध कराई जायेगी।

केन्द्रों के संचालन हेतु अनुशांगिक व्यय का प्राविधान

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशक को प्राथमिक स्तर पर 1000/- रू0 प्रतिमाह प्रति अनुदेशक एवं अपर प्राथमिक केन्द्र के अनुदेशक को 2000/- रू0 प्रतिमाह दो अनुदेशकों के लिये दिया जायेगा। इसी प्रकार प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक केन्द्र के अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 1500/- एवं 4000/- रू0 दिया जायेगा। इसे प्रकार बच्चों के लिये शिक्षण सामग्री हेतु 100/- रू0 प्रतिछात्र प्राथमिक केन्द्र एवं 150/-रू0 प्रतिछात्र अपर प्राथमिक केन्द्र के लिये दिया जायेगा। केन्द्रों के शिक्षण सामग्री हेतु 1100/- रू0 प्रति केन्द्र एवं 1200/- रू0 अपर प्राथमिक केन्द्र के लिये दिया जायेगा। प्राथमिक केन्द्र की कन्टेनर्जेसी हेतु प्राथमिक स्तर पर 468.75 प्रतिकेन्द्र एवं 500/- रू0 अपर प्राथमिक प्रतिकेन्द्र दिया जायेगा। उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबंधन पर व्यय सम्मिलित है।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था :-

पर्यवेक्षण हेतु मानक तथा पर्यवेक्षण की प्रणाली :-

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिदिन

2. डी०आर०सी० समन्वयक— 10 प्रतिमाह
3. एन०पी०आर०सी० समन्वयक साप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र
4. प्रति उपविद्यालय निरीक्षक — 5 प्रतिमाह
5. सहायक वेशिक शिक्षा अधिकारी— 5 प्रतिमाह
6. विकास खण्ड अधिकारी— 5 प्रतिमाह
7. वेशिक शिक्षा अधिकारी— 5 प्रतिमाह
8. जिलाप्रशासन— 2 प्रतिमाह
9. गण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक— 2 प्रतिमाह

पर्यवेक्षण हेतु मानदेय की व्यय की व्यवस्था :-

विशेष पर्यवेक्षण हेतु डी०पी०ई०पी० में 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन की व्यवस्था है।

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन व मुख्य धारा (औपचारिक स्कूलों) में सम्मिलित होने की व्यवस्था

शिक्षार्थी व अनुदेशक दोनों का मूल्यांकन समय-समय पर होना चाहिये। मूल्यांकन हेतु प्रपत्र का निर्धारण होना चाहिये। मूल्यांकन में यह देखना है कि शिक्षार्थी मुख्य धारा की किस कक्षा में जाने की योग्यता को प्राप्त कर चुका है, उसे उस कक्षा की मुख्य धारा में जाने के लिये उपलब्ध निकटवर्ती औपचारिक स्कूल में नामांकित कराना है। नामांकन किसी भी माह में हो सकता है, इसके लिये सितम्बर माह का प्रतिबन्ध नहीं है— अनुदेशक का मूल्यांकन उसके प्रतिदिन के कार्य, ड्राप आउट बच्चों की केन्द्र पर उपस्थिति व रुचिपूर्ण शिक्षण के माध्यम से बच्चों का ठहराव व उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के आधार पर किया जायेगा।

अनुश्रवण की व्यवस्था :-

प्रत्येक केन्द्र से वहां उपस्थिति छात्र/छात्राओं की उपस्थिति, ड्राप आउट की स्थिति, ड्राप आउट को पुनः केन्द्र पर लाने की स्थिति, शैक्षिक स्तर, मुख्य धारा से जुड़ाव, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, केन्द्र स्थल का रखरखाव (सफाई व साज सज्जा) सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का

सहभागिता, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का संकलन, मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक बैठकों में विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा।

प्रधान, पी०डी०सी० सदस्य, ब्लॉक प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को संचालित केन्द्रों की सूची अनुदेशक के नाम, स्थल, व समय के उल्लेख के साथ अवश्य उपलब्ध कराई जायगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उनका सहयोग भी लिया जा सके। उस क्षेत्र के निकटवर्ती विद्यालय में बाहर बोर्ड पर केन्द्र का नाम, अनुदेशक का नाम, समय व स्थान अंकित किया जाये। जिससे जनसमुदाय को सम्पूर्ण जानकारी रहे।

चरणबद्ध कार्यक्रम

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. की स्थापना हेतु निम्नलिखित फेजिंग प्रस्तावित की गई हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

	ई०जी०एस०	ए०आई०ई०
प्रथम चरण	76	24
द्वितीय चरण	46	30
तृतीय चरण	40	—
योग—	162	54

सारणी 7.1

EGS./AIE योजना हेतु सर्वेक्षण के परिणाम

स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.2000 की स्थिति)

जनपद-इटावा

(1) 6-14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या

बालक

169751

बालिका

149438

योग-

319189

(2) 6-14 वय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 283601

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	48597	-	66047	13005	22957	150606
बालिका	41072	-	59766	11131	21026	132995
योग	89669	-	125813	24136	43983	283601

(3) 6-8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	793	-	1507	497	321	3118
बालिका	682	-	1451	452	294	2879
योग	1475	-	2958	949	615	5997

(4) 9-14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	333	-	414	606	126	1479
बालिका	-	-	-	-	-	-
योग	333	-	414	606	126	1479

स्रोत - वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

घुमन्तु बच्चें (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	161	—	202	201	52	616
बालिका	168	—	148	153	99	568
योग	329	—	350	354	151	1184

कामकाजी बच्चें (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	2990	—	5020	3233	1990	13233
बालिका	1990	—	6015	2995	1215	12215
योग	4980	—	11035	6228	3205	25448

सड़क छाप बच्चें (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	109	—	108	142	103	462
बालिका	99	—	121	126	80	426
योग	208	—	229	268	183	888

विकलांग बच्चें (PHYSICAL HANDICAPPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	71	85	91	61	308	
बालिका	86	76	65	57	284	
योग	157	161	156	118	592	

स्रोत — वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें ।

सारणी 7.2

AIE में नागांकन हेतु सर्वेक्षण के परिणाम

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9-14 वय वर्ग)

व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अभिभावक के मददगार हैं।	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग
कृषि	10020	8172	18192
पशुपालन	1103	756	1859
दुकानदारी	1102	859	1961
कुम्हार	161	136	297
बढ़ई	161	136	297
दर्जी	320	272	592
अन्य	160	136	396
योग	13027	10467	23594

स्रोत - वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यतनकरण

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिह्नित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिह्नित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रु० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 29591 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चे चिह्नित किये गये हैं। आगामी वर्षों में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मॉडल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रु० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्षों में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिन्न कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त प्रायेण स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001-2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001-2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

ठहराव में वृद्धि कार्यक्रम

निर्माण कार्य -

जनपद इटावा में सभी के लिए शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993 से 2000 तक भौतिक एवं अकादमिक सुविधायें सुधारने में प्रभावी कार्यवाही हुई है। जिसके अन्तर्गत जनपद में 245 प्राथमिक 178 उच्चप्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा 127 अतिरिक्त कक्षाकक्ष तथा 512 शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार आया है।

वर्ष 2002-2007 की अवधि में 831 शौचालय, 70 हैण्डपम्प, 81 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों, 29 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण तथा 987 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

जनपद इटावा में दस प्राथमिक विद्यालय एक कक्षीय एवं 747 दो कक्षीय विद्यालय भवनों को तीन कक्षीय करने की आवश्यकता होगी। अतः प्राथमिक स्तर पर $10 \times 2 = 20$ एवं $747 \times 1 = 747$ कुल 767 अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर तीन एक कक्षीय एवं दो, दो कक्षीय विद्यालय हैं। जिनमें 3 एक कक्षीय विद्यालयों, में $3 \times 2 = 6$ अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं दो कक्षीय विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त जनपद में अतिरिक्त छात्र नामांकन को दृष्टिगत करते हुए 53 और कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 61 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। जिसकी वर्षवार कार्ययोजना सारणी 8.1 में दर्शायी गयी है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र

शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मानक के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। एकल अथवा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय पर एक अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी। शिक्षा मित्रों की व्यवस्था शासनादेश में उल्लेखित नियमों के आधार पर की जायेगी। आवश्यक अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों का आंकलन का विवरण सारणी 4.3 में दर्शाया गया है। वर्ष 2002-2007 की अवधि में छात्र-अध्यापक अनुपात को मानक के अनुरूप लाने हेतु 1778 अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

निर्माण योजना वर्षवार

सारणी 8.1

वर्ग	जर्जर		अतिरिक्त कक्ष		शौचालय		हैण्डपम्प		चाहर दीवारी	
	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०
2001-02	20	4	250	16	28	6	21	12	200	65
2002-03	21	5	260	25	25	6	30	10	300	75
2003-04	—	—	257	20	25	—	30	—	256	75
2004-05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005-06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006-07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007-08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2008-09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2009-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	41	09	767	61	78	12	81	22	756	215

चहारदीवारी के निर्माण हेतु राज्य सरकार के मानक के अनुसार रु० 40,000 की इकाई लागत रखी गई है। रु० 40,000 से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था स्थानीय समुदाय के सहयोग से की जायेगी। चहार दीवारी के निर्माण में कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चार दीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 98 प्राथमिक विद्यालय तथा 27 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रु० 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 25 प्राथमिक विद्यालय तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय बृहत मरम्मत योग्य है जिनकी मरम्मत हेतु रु० 70,000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा बृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में आवश्यक अध्यापक/शिक्षा मित्र

सारणी 8.2

वर्ष	प्रभावी नामांकन	आवश्यक अध्यापक	आवश्यक शिक्षामित्र
2001-02	8514	57	57
2002-03	98849	231	230
2003-04	117285	139	139
2004-05	1288414	135	134
2005-06	139156	195	195
2006-07	154768	134	133
2007-08	165436	32	32
2008-09	168001	33	32
2009-10	170610	34	33

विद्यालयी सुविधायें :-

बी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय को आकर्षक एवं विकासोन्मुख बनाने के लिये 2000/- रू0 प्रति प्राथमिक विद्यालय एवं 4000/- रू0 प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को वर्ष 1997 से दिया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप विद्यालय के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण, बच्चों की शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रिया कलाओं को जोड़ने के अच्छे परिणाम दिखे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी प्रति विद्यालय मरम्मत/रखरखाव हेतु 5000/- रू0 प्रति वर्ष का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही विद्यालय विकास अनुदान हेतु 2000/- रू0 प्रति वर्ष प्राथमिक एवं 4000/-रू0 प्रति वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदान करने का प्राविधान किया है। विद्यालय विकास अनुदान से विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण, मवन की रंगाई-पुताई, रखरखाव की सामग्री, विद्यालय के उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री, उपकरण, अलमारी, मेज, कुर्सी आदि का क्रय किया जाना सम्मिलित है।

सर्मी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500/- रू0 प्रत्येक अध्यापक की दर से एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी, जो सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्रदान की गयी। जिसके सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी 500/- रू0 प्रति अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी है, जिसके द्वारा अध्यापक अपनी कक्षा एवं विषय से सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे।

कम्प्यूटर शिक्षा -

वर्तमान समय में विज्ञान एवं टेक्नोलोजी की महत्ता को देखते हुए बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है। जिसके तहत सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक वर्ष हर विकास खण्ड में एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष उच्चप्राथमिक स्तर के 10 अध्यापकों को 20 दिन के प्रशिक्षण का प्राविधान किया गया है। जिससे वे बच्चों को प्रभावी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करेंगे।

विद्यालय मरम्मत:-

जनपद में 98 प्राथमिक विद्यालय तथा 22 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 25 प्राथमिक विद्यालय तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत् मरम्मत योग्य हैं। जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत् मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा। वर्ष 2002-2007 की अवधि में 57 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 22 विद्यालयों में वृहत् मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

बालिका शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। यह बालिकायें हमारे बालिका शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है। जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालय में होना चाहिये, उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। समाज के विशेष समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में यह स्थिति और भी खेद जनक है।

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के लागू होने के पश्चात् बालिका शिक्षा के नामांकन एवं ठहराव में अपेक्षित सुधार आया है। इन सभी प्रयासों के पश्चात् अभी भी बालिका शालात्याग दर में हम शत प्रतिशत शून्यता को नहीं प्राप्त कर सके हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा पर विशेष कार्ययोजना बनायी गई है।

विकास खण्डवार बालिका शाला त्याग की दर

क्र०सं०	ब्लाक का भाग	प्रतिशत	कुल दर
1	जवन्तनगर	35.4	43.5
2	बसरेहर	37.7	42.3
3	बढ़पुरा	39.2	40.1
4	सैंफई	27.3	27.8
5	भरथना	31.8	29.9
6	ताखा	30.4	35.4
7	महेवा	33.6	35.7
8	चकरनगर	26.9	23.9
9	नगर क्षेत्र इटावा	73.7	78.4

स्रोत बेस लाइन रिपोर्ट 2000 - 2001

फोकस ग्रुप डिस्कसन के पश्चात् बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में जो तथ्य उभर के आये वे निम्नवत् हैं -

1. महिला शिक्षक का अभाव।
2. बढ़पुरा एवं चकरनगर के दस्यु प्रभावित एवं बिहड़ंचल क्षेत्र हेतु शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी न होना।
3. विद्यालय दूर होने के कारण असुरक्षा की भावना।

4. छोटे बच्चों की देखभाल एवं घरेलू कार्यों के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जाना।
5. व्यवसाय में हाथ बटाना।
6. शिक्षा की व्यावहारिक उपयोगिता का ज्ञान न होना।
7. लिंग भेद।
8. क्षेत्र विशेष के लिए शिक्षा।
9. जाति विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था।

जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एवं शत प्रतिशत नामांकन/उहराव का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाई गई है जिसके अन्तर्गत -

- सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
- महिला शिक्षकों का चयन (आचार्या के रूप में)
- विशेष समूहों हेतु योजना (अनुसूचित, अल्पसंख्यक)
- अध्यापक प्रशिक्षण
- निःशुल्क पुस्तक वितरण
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
- कार्यानुभव आधारित केन्द्रों का चयन
- एन0जी0ओ0 से सहायता
- विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा
- अनुसंधान

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्राविधान है इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित माँ का होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण के लिए संसाधन समूहों का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, आधारभूत कार्यकर्ताओं संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा।

विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में सुधार कर एक आदर्श संकुल विकास अधिगम द्वारा बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में औपचारिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन या

वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना है। द्वितीय
दरण में बालिकाओं की उपस्थिति एवं उद्धार को केन्द्रित करना है। संकुलों के चुनाव का
मापदंड

1. महिलाओं की शिक्षा दर कम है।
2. बालिकाओं का कम नामांकन एवं उद्धार।
3. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्प संख्यकों के जन समुदाय की अधिकता।
4. 10-12 गाँवों का संकुल

आयोजनात्मक क्रियाएँ :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएँ की जाएँगी, जैसे कि
संकुलों की पहचान -

1. ब्लॉक एवम् संकुल समन्वयको सहित जिला परियोजना टीम को आदर्श संकुल विकास
अभिगम द्वारा बाँटना।
2. उन केन्द्रों/दलों को पहचानना जो कि प्रत्यक्ष रूप से संकुल के साथ गतिविधियों में
कार्यरत है।
3. गाँव के निरीक्षण द्वारा ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों एवम् मुख्य व्यक्ति के साथ
सम्पर्क स्थापित करना।
4. गाँव के मुख्य व्यक्ति में शिक्षकों एवम् ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
5. गाँव की बैठकों का आयोजन।
6. बालिकाओं की शिक्षा के लिये पी0आर0ए0 तथा घर सर्वेक्षण करने के लिये विशेष
प्रशिक्षण।
7. घरों के सर्वेक्षण/पी0आर0ए0 द्वारा एकत्रित आँकड़ों व ग्राम विकास की विशेष
योजनाओं के आँकड़ों की तुलना।
8. इस अभिगम में गाँव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रति
संवेदनशीलता।
9. कक्षा में होने वाली गतिविधियों में बालिका शिक्षा परिप्रेक्ष्य के अनुश्रवण में समन्वयकों
में जेन्डर संवेदनशीलता का विकास।

10. इस अभियान के आरम्भ से ही एक समयबद्ध योजना को कार्यान्वित किया जायेगा और इसके आधार पर गतिविधियों का क्रम निश्चित किया जायेगा।

केंद्र दल :-

संकुल स्तर केंद्र दल की स्थापना की जायेगी बालिकाओं की शिक्षा के लिये जिला समन्वयक, संकुल समन्वयक के अतिरिक्त महिला एवं युवा सदस्यों को भी लिया जायेगा। केंद्र दल के दैनिक कार्यों में जिला परियोजना अधिकारी सहायता करेंगे।

केंद्र दल को स्थापित करने में निम्न बातों का ध्यान दिया जायेगा :-

- जिन व्यक्तियों का माडल समूह अभियान से गहरा सम्बन्ध है उनसे कार्य के प्रति निष्ठावान होने का आश्वासन लेना।

- संकुल के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के लिये क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ जान पहचान सुनिश्चित करना।

प्रारम्भिक गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात् चुने हुए संकुलों में संगठनात्मक एवं नामांकन अभियान चलाया जाना।

नामांकन अभियान के अन्तर्गत निम्न विधायें अपनायी जायेंगी -

- पद यात्रा, प्रभात फेरी
- नुक्कड़ नाटक
- बैठकें
- घर-घर जाकर प्रोत्साहित करना।
- मीना अभियान
- माँ-बेटी मेला
- महिला संसद

इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य :-

- गाँव में बालिकाओं की शिक्षा वर्तमान स्थिति तथा बालिकाओं के नामांकन को सुधारने के लिये समुदाय पर प्रभाव।

- घरों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यह निर्धारित करना कि बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है।

- विद्यालय के वातावरण व विद्यालय प्रबन्धन साधनों को सुधारना।
- विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी तथा विद्यालय एवं समुदाय के पारस्परिक मेल जोल का संस्थाकरण।
- 5. ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय उपस्थिति।
- 6. सक्रिय महिला समूहों अथवा प्रेरित व्यक्तियों की उपस्थिति।

आयोजनात्मक क्रियाएँ :-

इस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएँ की जायेंगी हैं जैसे संकुलों की पहचान -

ब्लाक एवम् संकुल समन्वयकों सहित जिला टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा बॉटना

3. नामांकन के पश्चात् ठहराव हेतु कदम उठाये जाने चाहिये -
 1. अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जायगा।
 2. समय को लचीलापन बनाया जायेगा जिससे अधिक संख्या में बालिकाओं का नामांकन हो सके।
 3. आई0सी0डी0एस0 की मदद से या नए शिशु केन्द्रों को खोला जायेगा।
 4. उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन किया जायेगा।
 5. संकुल पर प्रतिमाह बैठक में आने वाली समस्याओं पर विचार किया जायेगा साथ ही उन्हें दूर करने के कदम उठाये जायेंगे।
 6. विद्यालयों में विशेष आयोजन किये जायेंगे।
 7. ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

- समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव / मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र / विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

- ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

- ◆ बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

- ◆ बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –

- माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

- माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

- माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर द्रम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेंगे।

- सत्र के मध्य एवं सत्रांत में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त सनारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त सनारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षों का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करने के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव-गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण

प्रारम्भिक बाल देख रेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिक बाल शिक्षा से दोहरे लाभ है। प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना। दूसरा यह विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को छोटे भाई बहनों की देखरेख से मुक्त कर विद्यालय में रहने का अवसर प्रदान करना है जिसमें लगभग 40 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

रणनीतियाँ

कनवर्जेन्स-समेकित बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करना, प्रशिक्षण सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के समय में समन्वय स्थापित करना।

अन्य शिविर

ग्रीष्म कालीन शिविर की उपयोगिता को देखते हुए इसे भी कार्य योजना में शामिल किया गया है। चिन्हांकित शालात्याग बस्तियों की बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे जो कि संख्या के आधार पर एन0पी0आर0सी0 या बी0आर0सी0 स्तर पर होंगे।

साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत -

- आने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके।
- किशोरन्वय तनाव से बचने के उपाय एवं उनका समायोजन।
- व्यक्तित्व विकास
- नेतृत्व क्षमता का विकास
- वाणी-सम्बोधन क्षमता का विकास

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन की होगी। प्रशिक्षण हेतु परीक्षक को बुलाया जायेगा एवं सम्मान स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव

जनपद में चिन्हांकित बस्तियों की शालात्याग दर अधिक है जो चिन्ता का विषय है। इन बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देने का कारण प्रायः इनके माँ बाप होते हैं। जो इन्हें

अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों की देखभाल हेतु प्रयोग करते हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए जनपद ने अपनी कार्य योजना में कार्यानुभव आधारित वैकल्पिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करते हेतु आधुनिक संसार व्यवस्था का उपयोग, प्रोत्साहन एवं रुचि संवर्धन हेतु जिला कार्य योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक-एक कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव किया है। आने वाले वर्षों में इसकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में पांच करने की है। इटावा नगर के कुछ क्षेत्र में बालिकाएं सिलाई कढ़ाई, बुनाई, अदि का कार्य करती हैं। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम कार्यानुभव के रूप में सम्मिलित किए जायेंगे।

योजना को सफल बनाने के लिए मानक के अनुरूप धन का प्रावधान है, जिसका उपयोग किया जायेगा। जिसमें अनुदेशक का चयन किया जायेगा जो कि कम्प्यूटर एवं शिल्प कलाओं में प्रशिक्षित होंगे उन्हें मानक के अनुरूप मानदेय दिया जायेगा। साथ ही तैयार माल वहीं केन्द्रों पर बेचा जायेगा। प्राप्त राशि को प्रोत्साहन स्वरूप बालिकाओं में वितरित किया जायेगा। जिससे बालिकाओं की शालात्याग दर शून्य हो जायेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण -

बालिका शिक्षा एवं समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में ठहराव की स्थिति बनाये रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई गईं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं तथा अन्य सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जायेंगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रति छात्र-छात्रा 150 रु० की दर का प्रावधान है। जिसमें वर्ष 2000-2001 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं की संख्या 75366 है, एवं अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या 21940 है। वर्ष 2010 तक अनुमानित लाभार्थियों की संख्या को अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु छात्रों की अनुमानित संख्या

वर्ष	अनुसूचित बालक		अनुसूचित बालिका		अन्यवर्ग बालिका		योग	
	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ०प्रा०
2001	13164	8776	12151	8002	33067	22046	58382	37924
2002	13453	8970	12418	8280	33795	22530	59666	39780
2003	13722	9149	12691	8462	34538	23026	60951	40637
2004	14024	9350	12971	8648	35298	23533	62293	41531
2005	14332	9556	13256	8838	36075	24050	63663	42444
2006	14648	9766	13548	9033	36868	24580	65055	45379
2007	14970	9981	13846	9231	37679	25120	66495	44331
2008	15300	10200	14151	9432	38508	25673	67959	45607
2009	15636	10425	14462	9642	39355	26238	69453	46305
2010	15980	10954	14780	9854	40221	26815	70981	47323

समेकित शिक्षा- विशेष वर्ग की शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालय में नहीं लाया जाता है। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जायेगी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जायेगी है। जनपद इटावा में 1015 बच्चों विकलांग चिन्हित किये गये हैं। नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य होना शेष है।

समस्यायें

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती हैं। बच्चों की अधिगम अक्षमता के कई कारण होते हैं।

बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति। देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई। हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं जैसे - माता पिता के स्नेह में कमी। बच्चों को हीन भावना से देखना। सीखने के समान अवसर न मिलना। शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक का बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी, चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित रहने का भय बना रहता है।

विश्लेषण

विश्लेषण से ये तथ्य उभरकर सामने आते हैं जैसे अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं माध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य वा गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यकतायें / कार्य योजना :-

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है इस हेतु समुदाय, परिवार एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण :-

1- समुदाय का संवेदीकरण- इसके अन्तर्गत जन समुदाय को भ्रातियों को दूर किया जायेगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जायेगा। इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2- सामूहिक जनसभा करके परिवार एवं भाई-बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। विकलांगता अभिशाप नहीं है। हमें ऐसे बच्चों को दया नहीं सहयोग देना चाहिये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

3- अध्यापकों का संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा है कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण

1. ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे में अवगत कराया जायेगा। अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। बैठक में जॉच दल का चुनाव किया जायेगा।

2. विकिरण दल पुने हुए स्कूल के अध्यापक-अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रों की जीव पर विचार-विमर्श कर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जायेगा।

3. तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा पुने जायेंगे।

4. विशेषज्ञों को बुलाया जायेगा।

5. विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी।

6. उपकरण एवं उपस्कर :-

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोपेडिकट, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करायी जायेगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ली जायेगी इसके लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा-

1- राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।

2- एलिम्को, जी0टी0 रोड, कानपुर - 208 016

3- अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा, विकास मार्ग दिल्ली।

4- मंगलम, ए-445, इंदिरा नगर लखनऊ

5- यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद

7. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजुकेशन सेन्टर द्वारा दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा जैसे :-

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों का शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों के समाज के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के संबंध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकसित खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्ट टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

सामुदायिक गांतेशीलता के कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान के क्रिया-व्ययन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की जायेगी गई है। हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों का अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का है किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ सीमिति गतिविधियों तक हो रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल क्रिया-व्ययन का दायित्व दिया जायेगा साथ ही ग्राम की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यह एक नवीन चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रति बद्धता है।

प्रत्येक जिले में से उत्कृष्ट कार्य के लिए एक ग्राम शिक्षा समिति को प्रोत्साहन स्वरूप 25000/- रुपये का पुरस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा-व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनों विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

विश्लेषण :-

जनपद इटावा पूर्व में उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा है जिसके अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। उस क्रम को बनाये रखने एवं शेष एवं अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी ढंग से कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।

आकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी जिसमें बच्चों के नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं/कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस कार्य योजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाँव के शत प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं स्वरूप

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। 30प्र0 बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2000 के अन्तर्गत गठित शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा—

1. प्रधान अध्यक्ष
2. प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव
3. 3 अगिभावक छात्रों के तीन अगिभावक, जिसमें एक महिला होगी।
(सोवे0शि0अधि0 द्वारा नामित)

यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होगा।

उत्तरदायित्व :

- 1- शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 2- पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन।
- 3- शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियंत्रण :-
 - (1) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
 - (2) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के आध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता समझे जाएं।
 - (3) शिक्षामित्र एवं आचार्य जी के चयन का अधिकार।
 - (4) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :-

प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

- 1- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।
- 2- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिए वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरूक बनाना।

- 3- विकेंद्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत स्कूल नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
- 4- आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण मासिक विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अग्रिप्रेरित/सुग्राहित करना।
- 5- अन्तर्देशीय समन्वयन, सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए अग्रिप्रेरित/सुग्राहित करना।

शैक्षिक उत्तरदायित्व तहज़ करज़ा :-

- (1) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करना।
- (2) आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन, स्थल चयन आदि कार्यवाही।
- (3) नये विद्यालय का निर्माण तीन माह में सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।
- (4) विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव।
- (5) वित्तीय संसाधन जुटाना।
- (6) स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री, आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री एवं साइंस किट का समुचित प्रयोग करवाना।
- (7) प्राथमिक विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना। जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान' चलवाना।
- (8) स्कूल में बच्चों का धारण में स्थायित्व बालिकाओं और अपवंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।
- (9) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।
- (10) स्कूल के बाहर के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं बाल भजदूरों की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कराना।
- (11) शिक्षक मातृसंघ एवं अभिभावक शिक्षक संघों का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना।
- (12) वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना। समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्यकतानुसार सहायता, दान/श्रम के रूप में प्राप्त करना।
- (13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करवाना।
- (14) ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर बच्चों का नामांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।
- (15) स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का नियमित हेल्थ चेकअप करवाना, तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।

- (13) युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्कूल की सफाई, निर्माण आदि में श्रमदान करके सहयोग दे सकें।
- (17) कक्षा में इंगला लिखवाना, जोर से पढ़वाना, गृहकार्य एवं जांच कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना।
- (18) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का विवरण करना।
- (19) शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहे इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों—गिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने, बड़ई गिरी, लुहार गिरी के कुशल कारीगरों, अच्छे कहानी वाचक, गायक, वादक, कहानीकारों को समय-समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिए बुलाया जाय इससे बच्चों के दृष्टिकोण में कार्य की महत्ता पहचानने में बढ़ावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की संदर्भ व्यक्ति के रूप में पहचान कर सूची बना ली जायेगी।
- (20) प्राथमिक विद्यालय में दस-दस पुस्तकें प्रति कक्षा रखकर बुक बैंक की स्थापना की जायेगी एवं इन पुस्तकों को सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को वितरित किया जायेगा।

शिक्षा के वातावरण निर्माण के लिए निम्न कार्यवाही की जायेगी :-

- (1) जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों, मशाल जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा।
- (2) समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेंगे।
- (3) प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेंगे।
- (4) गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवा कर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।
- (5) पोस्टर, गीत, नारों, कहानियों, चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।
- (6) बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्धित अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों आदि को दूर किया जायेगा।
- (7) बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है— अभिभावकों में यह भावना जागृत करायी जायेगी।
- (8) सहभागी क्रियाओं, अभिनय आदि के माध्यम से उधारण देकर प्रस्तुतीकरण करना कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन।
- (9) विद्यालय भ्रमण, विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

- (10) क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाल मेलों, प्रदर्शनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/वीडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा।
- (11) अन्तर्कक्षीय/अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेगी।
- (12) स्कूल चलो अभियान आयोजित कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- (13) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना। बालिकाओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान मीना फिल्म, प्रदर्शन एवं चर्चा। सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। अभिभावक-शिक्षक बैठकों का आयोजन कराये जायेंगे।
- (14) अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन/त्यौहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं द्वारा गांव के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार-समाचार-पत्र, नारे लेखन, महत्वपूर्ण स्थानों पर नारे, सूक्तियाँ, विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/चाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।
- (15) नारे व सूक्तियों का निर्माण, 'आकर्षक स्कूल भवन' रख-रखाव, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं-लेखन, सुस्वर पाठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।
- (30) छात्रों में गणवेश, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, नाखून काटना, स्वच्छ दांत, प्रतिदिन स्नान करना बालों की स्वच्छता एवं विन्यास, जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जर, यसेंगी।

अन्य विभागों से भी अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा -

स्वास्थ्य विभाग :-

ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जगारुक करना। ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना। गाँव में स्वास्थ्य घर खुलवायें जहाँ दवाइयाँ, ओ0आर0एस0 के पैकेट, आयरन की गोलियाँ आदि आसानी से मिल सकें। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जांच, टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करवाना।

महिला एवं बाल विकास विभाग :-

यदि आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर खुलवायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों को कुपोषण न हो सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीके लगवायेंगे। गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फौलिक ऐसिड गोलियाँ दी जायेंगी।

विकलांग कल्याण विभाग :-

विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण-पत्र बनवाये जायेंगे और जिला विकलांग कल्याण विभाग से उपकरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

श्रम विभाग -

श्रम विभाग के सहयोग से 6-14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान करायी जायेगी। इन बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी।

जल विभाग -

खराब हैण्डपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैण्डपम्प की व्यवस्था करायी जायेगी।

वन विभाग -

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग -

बच्चों की छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

आपूर्ति विभाग -

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार का नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायेगी।

महिला समाख्या -

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सबलीकरण हेतु सहयोग लिया जायेगी।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-9

गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु परियोजना

शैक्षिक गुणवत्ता का परिदृश्य-

इटावा जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और सम्बर्द्धन करने के लिये गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान औरैया के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 08 बी.आर.सी. तथा 75 एन.पी.आर.सी. की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह-समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। अविभाजित जनपद इटावा में अकादमिक सहयोग डायट औरैया द्वारा प्रदान किया गया था तथा अब भी यह सहयोग समर्थन प्रदान किया जा रहा है। किन्तु जनपद स्तर पर डायट स्थापित किया जाना आवश्यक है।

बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सम्बर्द्धन तथा 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति था। जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु डायट, विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये। सभी का लक्ष्य था कि विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार हो सके। जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डायट पर है। इस दिशा में डायट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं। प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम द्विधियाँ, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इत्तका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डायट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग और समर्थन प्रदान करने हेतु डायट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 पर एक निश्चित तिथि को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। बी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में डायट प्रतिनिधि तथा एन0 पी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में बी0 आर0 सी0 व डायट प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। कार्यशालाओं में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण को प्रभावी बनाने

की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग-समर्थन देने सम्बन्धी प्रयासों पर विचार-दिग्दर्शन किया जाता है। डाएट, बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण के समय आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण भी किया जाता है तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। पर्यवेक्षण के समय विद्यालय चैक लिस्ट के अनुसार सी व डी ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने हेतु सुझाव व प्रयास किये जाते हैं। तदुपरान्त इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा :

बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों में स्कूल रेडीनेस लाने और बालिकाओं का नामांकन तथा टहराव बढ़ाने हेतु शिशु शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र० द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 30 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय-सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्चा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु० 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु० 1500 भी प्रदान किये गये। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये—

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक-बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का सन्वय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में

भागीदारी में वृद्धि हुई।

4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद ठटावा में डायट के नेतृत्व में 416 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:-

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और सनत्त्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सन्निवेश अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनको प्रतिभागिता की बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में

स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा समितियां तैयार की गईं। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति - संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण, विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूलों में न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग व समर्थन से प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और दशा में सुधार हो रहा है। ग्रामवासी विद्यालय भवन को राजकीय भवन न मानकर अपने गाँव की सम्पत्ति मानने लगे हैं। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व आवश्यक शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के प्रयासों से सम्भव हो रही है। प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि व समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की जाती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर विचार विमर्श किया जाता है।

बी.ई.पी. में स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी की स्थिति नगण्य थी वहीं ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर स्कूल की गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी को प्रशिक्षित कराया गया जिसके फलस्वरूप समुदाय के कुछ लोगों ने स्कूल की गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग एवं सहभागिता देखने को मिली वही शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार आया। बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग जरूरी है बिना परिवार के सहयोग से बालक की शिक्षा सही नहीं हो सकती। जब तक माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा उनमें शिक्षा के प्रति रुचि एवं जागरूकता दिखाई नहीं देगी। बच्चे की शिक्षा अपेक्षित स्तर की संभव न हो सकेगी, अतः नामांकन के दृष्टि कोण से जनसम्पर्क अभियान चलाया गया। शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क किये गये जिससे पढ़ने का वातावरण बना। अधिकांशतः देखने में आया है कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अभिभावक अभी भी उदात्त हैं। बालिकाओं का ड्राप आउट रूक सके इसके लिये कार्यवाही की आवश्यकता है तथा उपाय करने होंगे। समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा, रुचि जागरूकता भरनी होगी। ऐसा प्रयास ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये आवश्यक होगा।

बी.ई.पी. के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :

बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों के प्रति सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ सके इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये

दक्षता आधारित प्रशिक्षण प्रतिवर्ष चलाया गया। बच्चों का बौद्धिक स्तर आगे बढ़ सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण तथा शिक्षकों की दक्षता, क्षमता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। जनपद में संचालित शिक्षक-प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है—

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु आयोजित किये गये हैं। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं। इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रुचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो।

प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं — प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं रुचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों के लिए 10 दिवसीय और स0 अ0 के लिए 8 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के दूसरे चक्र में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा-शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय-का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के तीसरे चक्र के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग-1 से 5 टारर रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियाँ एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा-1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के चौथे चक्र में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्याओं को समझना, जोड़ने-घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक

संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के पाँचवें चक्र में पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामाजिक विषयों (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) व वैज्ञानिक विषयों (भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) के शिक्षण को सरल रुचिकर व बोधगम्य बनाकर विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण भी 6 दिवसीय था।

बी. ई. पी. में उच्च प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्रथम चक्र : उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की तीनों शाखाओं (अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित) के शिक्षण को सरल, रुचिकर और बोधगम्य बनाकर कक्षा-कक्ष में सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को गणित विषय का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

द्वितीय चक्र : विज्ञान की तीनों शाखाओं से सम्बन्धित विषय सामग्री को चित्रों, चार्टों एवं प्रयोगात्मक उपकरणों के द्वारा कक्षा-कक्ष में सरल, रोचक एवं बोधगम्य शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों से उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को विज्ञान शिक्षण का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा-6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। जो प्रकरण शिक्षण की दृष्टि से अध्यापकों को कठिन प्रतीत होते थे, उन पर विशेष बल दिया गया।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यतः विकास खंड स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया था।

शैक्षिक गुणवत्ता संबर्द्धन हेतु शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर हुआ जिसमें इटावा के विकास खण्ड स्तर के समन्वयक तथा न्याय पंचायत स्तर के समन्वयक, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही साथ विगत वर्षों में बच्चों के नामांकन में और अधिक वृद्धि हो सके इस हेतु ग्रामीण स्तर से लेकर जनपद स्तर तक स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम चलाया गया।

शैक्षिक गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु डायट, बी0आर0सी0. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विभिन्न प्रकार के मेटेरियल मेलों का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें गोष्ठियां आयोजित की गयीं। विजिनिंग कार्यशाला का उद्देश्य यही था कि लोगों की मानसिक स्थिति में

परिवर्तन हो सके परन्तु अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

बैज्ञानिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये जो पर्याप्त नहीं रहे। उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को अकादमिक सहयोग और समर्थन भी पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक है जो अशासकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, मकतब मदरसों में भी अध्ययनरत बच्चों की संख्या काफी है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अशासकीय क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेजों, मकतब मदरसों में जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं उनके शिक्षकों के लिये भी विषय ज्ञान, क्षमता संवर्धन और शिक्षण विधियों पर केन्द्रित प्रशिक्षण तथा सतत अकादमिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

शैक्षिक योग्यता :

इसके अतिरिक्त शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता की स्थिति का विश्लेषण यह बताता है कि शिक्षकों को विषय ज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि सारिणी-1 शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण प्रदर्शित करती है। प्राथमिक शिक्षक के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा बी.टी.सी. अथवा समकक्ष प्रशिक्षण हैं किन्तु जनपद में अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता मानक से कम है।

सारिणी-9.1 (अ)

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

	प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1. शिक्षकों की कुल संख्या	2282	1195
2. हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	12	02
3. केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण	45	08
4. केवल इण्टरमीडियट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	42	05
5. स्नातक(अप्रशिक्षित)	16	—
6. "क" विज्ञान शिक्षक	—	234
"ख" संस्कृत उर्दू शिक्षक	114	211
7. परास्नातक (अप्रशिक्षित)	—	—
8. इण्टरमीडियट एवं (प्रशिक्षित)	682	626
9. स्नातक एवं (प्रशिक्षित)	685	361
10. परास्नातक एवं (प्रशिक्षित)	493	193

स्रोत— बी.एस.ए. कार्यालय इटावा

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि—

1. परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की कुल सं० 2337 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की सं० 1195 है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या 14 है इन अध्यापकों की गुणवत्ता सम्बर्द्धन के लिये प्रस्ताव के तहत डायट स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षकों का प्रतिशत 0.4 प्रतिशत है।
3. जनपद में हाई स्कूल उत्तीर्ण अध्यापकों की संख्या 53 है। इनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
4. जनपद में 2 प्रतिशत ऐसे शिक्षक है जो इण्टर/स्नातक तथा अप्रशिक्षित है यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है ऐसे शिक्षकों के लिए पत्राचार आधारित प्रशिक्षण के लिए निदेशक SCERT लखनऊ को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार डायट स्तर पर व्यवस्था की आवश्यकता है।
5. संस्कृत/उर्दू/विज्ञान/अंग्रेजी/संस्कृत अध्यापकों को जो लगभग 15 प्रतिशत है का विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों का पदस्थपना :

सारिणी 9.1 (ब)

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

शिक्षण अनुभव	योग	उच्च प्राथमिक
5वर्ष से कम	999	122
5—10 वर्ष तक	437	114
10—15 वर्ष तक	140	84
15—20 वर्ष तक	106	159
20—25 वर्ष तक	133	189
25—30 वर्ष तक	223	157
30 वर्ष से अधिक	244	370
योग	2282	1195

स्रोत:—बी०एस०ए० कार्यालय इटावा

जनपद में शिक्षकों की पद स्थापना की स्थिति से स्पष्ट है कि—

5 वर्ष से कम अनुभव वाले 34 प्रतिशत अध्यापक है। 17 प्रतिशत अध्यापक 5 से 10 वर्ष का अनुभव रखते है। 10 से 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले 9 प्रतिशत अध्यापक है 9 प्रतिशत लगभग ऐसे अध्यापक है

जिनका अनुभव 15 से 20 वर्ष है तथा 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले 31 प्रतिशत शिक्षक/शिक्षिकाएं हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखते हैं को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण नवाचार के रूप में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सम्भव है।

कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षकों को रु० 500 वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वे सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं और उनका कक्षा में उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा डायट स्तर पर मैटीरियल मैले का आयोजन किया गया जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और कक्षा-शिक्षण में शिक्षण-सामग्री का समुचित उपयोग बढ़ा है।

प्राथमिक कक्षाओं (1-5) के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 1999 में बेसिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित कर सभी शिक्षकों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी तथा डायट को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) हेतु नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जा रहा है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था

शिक्षकों को सहयोग समर्थन देने हेतु डायट स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के अन्तर्गत विविध कार्यनीतियाँ अपनाई गईं। इसके लिये विशेष बल देने हेतु डायट औरैया स्तर पर पटनी सहारनपुर पैकेज के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाएं आयोजित की गईं इसमें समस्त विकास खण्डों के समन्वयक, सहसमन्वयक एन०पी०आर०सी० प्रमारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों एवं डायट प्रवक्ताओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया गया।

विभागीय निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक/प्राथमिक एवं अन्य शैक्षिक स्तरों के अकादमिक पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इसमें डाइट बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० द्वारा जागरूकता के साथ अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया है। इनका विभागीय निर्देशानुसार श्रेणीकरण भी किया गया तथा वांछित श्रेणी में लाने हेतु उन्हें विशेष मार्गदर्शन तथा शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया। समन्वयक द्वारा मासिक बैठकों में अपने अपने विकास खण्डों की शैक्षिक समस्याओं को जाना गया तथा उनका आपत्ती विचार-विमर्श से निस्तारण किया गया। इस व्यवस्था से निचले धरातल पर शिक्षकों को उचित सहयोग एवं समर्थन दिया गया। विद्यालयों की उनके प्रदर्शन के आधार पर जो ग्रेडिंग की गई, उससे गुणवत्ता स्तर की जानकारी मिलती है। निम्न सारिणी द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है-

सारिणी 9.2

पर्यवेक्षण के आधार पर ग्रेडिंग

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक					उच्च		प्राथमिक	
		स्कूलों की संख्या	श्रेणी				स्कूलों की संख्या		श्रेणी	
		ए.	बी.	सी.	डी.	ए.	बी.	सी.	डी.	
1.	अजीतमल	120	73	47	—	29	15	13	01	—
2.	इटावा	127	39	78	10	38	17	17	04	—
3.	भाग्यनगर	119	42	70	6	28	12	16	—	—
4.	सहार	92	44	48	—	25	13	12	—	—
5.	अछल्दा	101	48	49	4	30	15	13	02	—
6.	एरवाकटरा	99	64	31	4	22	10	12	—	—
7.	बिधूना	112	33	63	13	20	8	11	01	—
3.	नगर क्षेत्र इटावा	—	—	—	—	01	01	—	—	—

स्रोत : डायट, उज्जैन

जनपद स्तर पर अकादमिक पर्यवेक्षण एवं प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने जाने के रूप में पर्यवेक्षण का कार्य डायट स्तर से लेकर एन०पी०आर०सी० तक संचालित किया गया। जिसके प्रमुख घटक निम्न रहे-

1. आदर्श पाठ योजना के आधार पर शिक्षण कार्य पर बल देना।
2. शासन से प्राप्त अनुदान रूपया 500 द्वारा सहायक सामग्री निर्माण का कक्षा शिक्षण में अपनाये जाने पर बल दिया जाना।
3. गणित विज्ञान जैसे दुरुह विषय के लिये कक्षा शिक्षण के समय किटों के प्रदर्शन पर विशेष बल।
4. दक्षता आधारित शिक्षा पर बल।
5. खेल परक शिक्षा पर बल।
6. समय सारिणी के अनुत्तर शिक्षण कार्य पर बल।

किन्तु अभी भी सुधार की पर्याप्त संभावना है यथा निम्नांकित बिन्दुओं के प्रति उपाय और व्यवस्था की जरूरत है :-

1. विषय शिक्षण के लिये समय का महत्तम उपयोग किये जाने पर बल।
2. लर्निंग कार्नर तथा टी०एल०एम० के प्रयोग पर बल।
3. कक्षा शिक्षण के दौरान मूल्यांकन एवं सतत मूल्यांकन पर बल।
4. क्रियात्मक शोध के माध्यम से समस्या निदान पर बल।
5. नई तकनीकी शिक्षा एवं उसके उपयोग पर बल।

7. बच्चों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य पर बल।
8. पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के आधार पर कक्षा शिक्षण पर बल।

स्कूल ग्रेडिंग के आधार पर जो स्थिति उभर कर आयी है उसे उपर्युक्त सारिणी द्वारा दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी है जिनका प्रदर्शन स्तर अच्छा नहीं है और उन्हें सुधार कर बी. ए. श्रेणी में लाना होगा। इन पिछड़ने वाले विद्यालयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और इन्हें पृथक अतिरिक्त सहयोग समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को किस तरह का शैक्षिक समर्थन आवश्यक है, इसका बोध और पर्याप्त क्षमता बी० आर०सी० स्तरीय कार्यकर्ताओं को इस दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली में मकतब मदरसों हाईस्कूल इण्टर कालेज की कक्षा 6-8 कक्षाओं को भी शामिल किये जाने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो इसके लिये उपाय की आवश्यकता है।

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर :

जनपद में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का नूल्यांकन समय-समय पर किया गया है। बेस लाइन का प्रथम सर्वेक्षण 93-94 के अन्तिम मासों में सम्पन्न कराया गया। और अन्तिम नूल्यांकन का कार्य वर्ष 2000 में कराया गया। जिसके निष्कर्ष बिन्दु निम्न हैं।

1. प्रथम बेस लाइन सर्वे की अपेक्षा अन्तिम नूल्यांकन सर्वे में देखने में आया है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाये गये।
2. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता व नूल्यांकन दर में प्रगति हुई है।
3. शिक्षण सामग्री के लिये कार्य तो किया गया लेकिन उपलब्ध कराये गये धन का समुचित प्रयोग देखने का नहीं मिला।
4. शैक्षिक गुणवत्ता की वृद्धि उच्च कक्षाओं में देखने को मिली लेकिन कक्षा 1 में अपेक्षाकृत सुधार कम हुआ।
5. मानक के अनुसार शिक्षण व्यवस्था देखने में नहीं मिली
6. विद्यालय उन्नयन में समुदाय की सहभागिता कम दिखाई दी।
7. अभिलेखों का रखरखाव पूर्ण किया गया किन्तु कार्य विधिवत् संतोषजनक नहीं मिला।
8. पाठ्येतर क्रियाकलापों में अपेक्षित प्रगति देखने को नहीं मिली है।
9. परम्परागत नूल्यांकन कार्य किया गया। किन्तु आधार भूत नूल्यांकन व्यवस्था में कमी देखने को मिली।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेस्तिन शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा-2 एवं कक्षा-5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिस आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992-93 में किया गया। मध्यावधि नूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम नूल्यांकन अगस्त 2000 में, निम्नलिखित विभिन्न चयनित विद्यालयों में किया गया।

सारणी 3 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	616	87.59	10.92	616	85.49	13.23
कक्षा 5	643	89.50	7.66	643	87.72	9.57

सारणी संख्या 3 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत तथा मानक विचलन 10.92% है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत एवं मानक विचलन 13.23% है। सारणी 2 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 89.50 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 7.66 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 87.72 प्रतिशत एवं मानक विचलन 9.57 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 4 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	323	87.00	11.70	323	88.20	10.00
गणित		86.00	12.80		85.00	13.70

सारणी संख्या 4 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 87.00 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 86.00 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.20 प्रतिशत तथा गणित में 85.00 प्रतिशत है।

सारणी 5 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	339	90.2	7.3	339	88.7	8
गणित		88	9.9		87.4	9.2

सारणी 5 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 90.2 प्रतिशत जबकि गणित में 88 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 88.7 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 6 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	अनु.जाति / जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	275	87.70	8.80	341	87.50	12.40
गणित		86.20	11.50		85.70	10.50

सारणी 6 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 87.70 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 87.50 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 86.20 प्रतिशत एवं मानक विचलन 11.50 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 85.70 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.50 है।

सारणी 7 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	अनु.जाति / जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	291	88.6	7.7	164	89.2	8.9
गणित		86	9.5		88.8	9.2

सारणी 7 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 88.6 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 89.2 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 86 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 88.8 प्रतिशत है।

सारणी 8 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	583	50.05	29.85	666	39.40	27.25	616	87.59	10.92
गणित	583	24.43	33.42	666	46.35	32.14	616	85.49	13.23

सारणी 8 दर्शाती है कि कक्षा-2 भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 39.40 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 50.05 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 24.43 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 46.35 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 9 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	680	40.20	14.44	611	42.86	9.69	643	89.50	7.66
गणित	680	30.40	14.25	611	32.25	9.33	643	87.72	9.57

सारणी 9 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 40.20 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 42.86 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 89.50 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 30.40 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 32.25 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 87.72 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार जनपद इटावा में वर्ष 2000 में क्लास रूम आबजर्वेशन स्टडी करायी गयी (एस.सी.ई. आर.टी. द्वारा)जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा के गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए क्लास रूम आबजर्वेशन स्टडी सर्वे एस0सी.0ई0आर0टी0 के विशेषज्ञों द्वारा तैयार टूल तथा (सिस्टम) तंत्र के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों के बीच शिक्षण गति विधि को बिल्कुल प्राकृतिक रूप में इस सर्वेक्षण में नापने का प्रयास किया गया। प्राकृतिक रूप का अभिप्राय है कि दिन प्रति दिन के शिक्षण में जिस प्रकार शिक्षण गति विधि अपनाई जाती है वह मूलतः उन्ही रूप में मापी जा सके ऐसा न होने पाये कि अध्यापक पर्यवेक्षण के समय अपने दिन प्रतिदिन के शिक्षण में पर्यवेक्षण के दिन/समय कक्षा शिक्षण के सुधार लाने के दृष्टि से कक्षा को बनावटी या अप्राकृतिक बना ले।

इस अध्ययन में अध्यापक छात्र के बीच शिक्षण गतिविधियों के अलावा यह भी आयोजन किया गया कि छात्र अध्यापक की सहभागिता कितनी स्पष्ट है। बालिकाओं तथा विशिष्ट बच्चों जैसे विकलांग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अध्यापक कितना सजग है।

शिक्षकों के बारे में:-

शिक्षकों के बारे में क्लान रूम आबजर्वेशन के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ देखने को मिली।

1. गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य 60 प्रतिशत के लगभग देखने को मिला।
2. 80 प्रतिशत समयबद्धता भी अधिकांश विद्यालयों में देखने की मिली।
3. कक्षा शिक्षण के प्रति सजगता 60 प्रतिशत अध्यापकों में देखने को मिली।
4. 50 प्रतिशत सहायक सामग्री का उपयोग भी देखने को मिला।
5. 10 प्रतिशत ऐसे भी अध्यापक पाये गये जिससे ऐसा पता चला कि वह वादन का समय किसी तरह व्यतीत करना चाहते हैं।

कक्षा की प्रक्रिया के बारे में:-

1. क्रिया आधारित जिज्ञासा कम देखने को मिली
2. विद्यालयों के अध्ययन से कुछ विद्यालयों में यह भी देखने को मिला कि जिन कक्षाओं का आब्जर्वेशन किया जाना था उन कक्षाओं के बच्चों को दूसरी कक्षा के बच्चों से अलग कर टूल्स भरना संभव हो पाया।
3. छात्रों द्वारा डायरेक्टिंग यानी सिस्टम कोड 18 में बच्चे लगभग न के बराबर पाये गये।
4. जागरूकता लड़कों में 42 प्रतिशत बालिकाओं में 35 प्रतिशत देखने को मिली

शिक्षण विधियों के बारे में:-

1. नवाचार युक्त शिक्षण विधियों का उपयोग देखने को कम मिला।
2. उचित गुणवत्ता की शिक्षण विधियाँ प्रायः कम पायी गयीं।
3. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता शिक्षण विधियों में कम पायी गयी।

शिक्षण सामग्री के बारे में :-

1. सहायक सामग्री कक्षा में 60 प्रतिशत देखने की मिली
2. 50 प्रतिशत दृश्य सामग्री का उपयोग देखने को मिला।
3. 50 प्रतिशत अध्यापकों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव पाया गया।
4. विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता प्रशिक्षण के अनुरूप प्रायः कम देखने को मिली।

शिक्षण सामग्री का उपयोग:-

डायट द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान प्रायः ऐसा देखने में आता है कि सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कक्षा शिक्षण में कम हो रहा है। रूपया 500/- शासन द्वारा प्रतिवर्ष सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जाने के बाद भी इसका सही व समुचित उपयोग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है जिसके लिये डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं/ बी0आर0सी0 समन्वयकों/न्याय पंचायत स्तर के समन्वयकों द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है कक्षा शिक्षण के समय वांछित सहायक सामग्री के प्रदर्शन पर आवश्यक बल दिया जाये यदि ऐसा नहीं होगा तो विषयवस्तु स्पष्ट नहीं हो पायेगी।

प्रायः ऐसा देखना में आया है कि गरीब परिवार के बच्चे विद्यालय में न जा कर बाल मजदूरी, खेती बाड़ी तथा अन्य कारखानों में काम करते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज को प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा मलिन बस्तियों को चिह्नित कर इन बच्चों के लिए पृथक रणनीति और कार्यक्रम निश्चित करने की आवश्यकता है स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेकर मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम तैयार कर चलाने की आवश्यकता है।

जनपद में स्कूलों कक्षाओं व शिक्षकों के विवरण को देखते हुए यह स्पष्ट है बहुकक्षा शिक्षण की समस्या अभी भी है जैसा कि सारणी-9.5 द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी-9.5

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति-प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर

विद्यालय स्तर	एक शिक्षक विद्यालय संख्या	दो शिक्षक विद्यालय संख्या	तीन शिक्षक विद्यालय संख्या	चार शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय संख्या
प्राथमिक स्तर	210	264	151	101	55	72
उच्च प्राथमिक स्तर	07	17	28	24	35	33

स्रोत- बे. शि. अ., इटावा

प्राथमिक स्तर के एकल विद्यालयों का प्रतिशत 14 है। दो शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत 34 है तीन शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत 22 है चार व पाँच शिक्षकों वाले विद्यालय क्रमशः 7 व 9 है पाँच से अधिक शिक्षकों का प्रतिशत 11 है। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ बहुकक्षा शिक्षण विद्या के अपनाने पर बल देने की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत 3.3 है। दो शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 13.53 है। चार शिक्षक विद्यालय संख्या का प्रतिशत 11.59 है। पाँच शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 16.91 है।

पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 15.94 है ! बहुकक्षा शिक्षण विधा उच्च प्राथमिक स्तर पर अपना ने की आवश्यकता है। विशेष विषयों जैसे- उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के लिये अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर छात्रांकन को नददेनजर रखते हुये नवने निर्दुक्तियाँ को गई। किन्तु अभी भी शिक्षकों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण स्थिति बनी हुई है इसके लिए विभिन्न प्रकार के कारण भी उत्तर दायी सिद्ध हुए हैं। डायट स्तर पर भी आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षकों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में शिक्षण करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकी एवं विधाओं से परिचित कराया गया। जिसका प्रभाव विद्यालयों में बच्चों पर अनुकूल पड़ा। सभी कक्षाओं के बच्चे किसी न किसी शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहते पाये गये, किन्तु अभी भी यह अनुभव किया गया है कि शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाते। सार्थक शिक्षण/अनुभव नहीं दे पाते। अतः इस दृष्टि से प्रशिक्षण देने और सानग्री विकास की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान/गणित शिक्षकों का अभाव

विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम से यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन एवं कक्षा तथा विषय के अनुस्तर शिक्षकों की कमी है। विशेष रूप से विज्ञान एवं गणित शिक्षकों का अभाव है। इस दिशा में विभाग द्वारा विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की पूर्ति होना नितान्त आवश्यक है जिसमें बच्चों की गणित एवं विज्ञान विषयों में अधिगम स्तर सुधर सके। प्रायः निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि बहुत से शिक्षक विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं फिर भी व्यवस्था के तौर पर उन्हें उक्त विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। फलस्वरूप किसी न किसी स्तर पर विषयगत कठिनाई अनुभव करते हैं। जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के अधिगम पर पड़ता है इस दृष्टि से निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की आवश्यकता है।

शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं :

शिक्षक विद्यालय में कार्य करने के दौरान जिन समस्याओं को अनुभव करते हैं/सामना करते हैं उनकी जानकारी स्कूल भ्रमण और पर्यवेक्षण के दौरान मिलती है ऐसी कुछ चुनौतियाँ/कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं-

1. पुराने बी0टी0सी0 अध्यापक यद्यपि गणित-विज्ञान का शिक्षण करते तो हैं लेकिन प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते हैं। यही समस्या संस्कृत व अंग्रेजी विषयों के साथ भी हैं।
2. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में अध्यापक पढ़ाये जाने वाले विषय वस्तु के प्रति संज्ञानात्मक रूप से अनभिज्ञ या अल्पज्ञान प्रदर्शन करते पाये जाते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है-कि उन्हें पढ़ाये जा रहे विषय वस्तु के सम्बन्ध में शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर प्रभावी शिक्षण दिया जाय।

इस प्रकार संज्ञानात्मक पक्ष की कमी से अध्यापक विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं जो कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में अभिवृद्धि करने और गुणवत्ता प्रदान करने से सहायक होती है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कहते हैं कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से आते हैं वे पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बहुत कम/मानक से कम होता है।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में यह बात संज्ञान में आती है कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के साथ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सन्तोष जनक स्थिति की न होने की चर्चा की जाती है! यह कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है किन्तु तथ्यों की परिवेशीय शैक्षिक/परिस्थितियाँ अनुकूल एवं सकारात्मक न होने से विद्यालय में रहकर बच्चे जितना सीख पाते हैं, अधगमित विषय वस्तु विस्मृत कर बैठते हैं। फलतः उनका अधिगम स्तर धीरे-धीरे चून हो जाता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये एक समस्या के रूप में सामने आता है। उक्त परिस्थितियों वश प्राथमिक स्तर के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं होती है। आज के वर्तमान परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सर्वोर्ध्व हेतु शिक्षकों से समुदाय की काफी अपेक्षाएँ हैं। जिससे शिक्षा के गिरते स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके।

समुदाय अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालय शिक्षकों से इस बात की अपेक्षा रखता है कि हमारे समुदाय के बच्चों का शैक्षिक स्तर गुणात्मक हो। समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक नैतिक गुणों से भरपूर हो। इसके लिये सभी शिक्षक समय से विद्यालय आयें। पूरे समय तक विद्यालय में रुक कर पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करें। समय-समय पर समाज के दिशा देने वाले विविध प्रकार के आयोजन करें। जिससे बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो और हमारा समाज/समुदाय आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

प्रशिक्षण के दौरान बतायी गई विधियों की प्रभावकारिता अपेक्षित स्तर की दिखाई नहीं देती है। शिक्षक कक्षा में बच्चों की अभिरूचि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण में बताई गई विधि में से एक या दो का ही प्रयोग करता है। मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा नहीं अपनाई जाती है। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया का अनुपालन कराने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। स्कूल कक्षा में जो प्रक्रिया दिखाई देती है वह कई तरह की कठिनाइयों को उजागर करती है।

1. कक्षा में भीड़ भाड़ है और शिक्षक उन्हें टोक से संभाल नहीं पा रहे हैं।
2. सभी बच्चों पर शिक्षक का पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
3. शिक्षण अधिगम सांमग्री विषय वस्तु के अनुसार नहीं होती और ऐसी सामग्री नहीं रहती जिसे बच्चे भी अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकें।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण -

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद इटावा में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया-

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉड्यूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह-समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक-अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका लक्ष्य शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन और फालोअप करते हैं।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन,
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका- संकुल स्तर पर शैक्षिक, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रित बिन्दु एन.पी.आर.सी. है स्थानीय समुदाय के अभिन्नेरेत करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का

परस्पर विनिनय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों के सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. सनन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सनन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं—

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से स्कूल नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण, योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभ्रमण तथा सूचनाओं के आदान प्रदान।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण औरैया संस्थान के नेतृत्व में इटावा 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु-ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस. ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं —

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ो हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
3. प्रशिक्षण के उपरांत फालोअप खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों— परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण:—

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद इटावा में 6-14 वयवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

1. 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6-14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

जनपद में इटावा में डायट की स्थापना की आवश्यकता है तथा इसे स्थापित किया जायेगा। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद- विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार-अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को तत्काल प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार शृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6-8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुज्ञन में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहजक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा-बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जनकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च

प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायें। इन प्रशिक्षणों में अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा। प्राथमिक विद्यालयों में नवनि्युक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वांगन प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विद्याओं पर चर्चा होगी। नवनि्युक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लॉक में भिन्न हो सकती है। इसलिए सेवा पूर्वांगन प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा। नियुक्ति के पश्चात् सेवा पूर्वांगन प्रशिक्षण का आयोजन यथाशीघ्र किये जायेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होंगे तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों के लिए सन्दर्भ वाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जायें, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा-मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा-मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ-साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे क्योंकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यों का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान-गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह-समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डाएट सुनिश्चित करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजिटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ

दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. वीजनिंग कार्यशालाएं— 3 दिवसीय — एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक-एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं—एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला — एक दिवसीय — एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एंजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 37 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एंजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 37 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

परस्पर विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों के सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं—

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण, योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभ्रमण तथा सूचनाओं के आदान प्रदान।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण औरैया संस्थान के नेतृत्व में इटावा 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु-ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस. ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं —

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ो हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
3. प्रशिक्षण के उपरांत फालोअप खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों— परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण:—

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद इटावा में 6-14 वयवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

1. 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6-14) के सभी बच्चों का स्कूल में उहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

जनपद में इटावा में डायट की स्थापना की आवश्यकता है तथा इसे स्थापित किया जायेगा। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद- विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षाओं की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार-अधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार शृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6-8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहस्रक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा-बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जनकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च

प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायें। इन प्रशिक्षणों में अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वांगन प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विद्यालयों पर चर्चा होगी। नवनियुक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लॉक में भिन्न हो सकती है। इसलिए सेवा पूर्वांगन प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा। नियुक्ति के पश्चात् सेवा पूर्वांगन प्रशिक्षण का आयोजन दथाशीघ्र किये जायेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होगा तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों के लिए सन्दर्भ दाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जायें, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा-मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा-मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ-साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे क्योंकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यों का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान-गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह-समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डाएट सुनिश्चित करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजिटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण—

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सनी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ

दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. वीजनिंग कार्यशालाएं— 3 दिवसीय — एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक-एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं—एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला — एक दिवसीय — एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एंजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 37 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एंजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 37 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सानाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 37 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 38 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 38 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. प्रत्येक विद्यालय से एक-एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण

के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरनेडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधरित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15-20 वच्चों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधरित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक- अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय-प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे-

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय नैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय नैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु 70 की दर से अनुमानतः रु 17 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय-वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित

विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ-साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इत तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधनात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो

06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० 70 की दर से अनुमानतः रु० 17 लाख प्रस्तावित है।

उत्पुस्तक सभनी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** — सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर सम्बंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. **शिक्षामित्र / आचार्य जी प्रशिक्षण**— जनपद के 217 शिक्षामित्रों तथा 162 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. **वैकल्पिक शिक्षा** — जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 54 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया

जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण - पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिक्षा केन्द्रों की स्थानों की जायेगी तथा इनकी कार्यकर्त्रियों तथा सहयोगियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग 1 व 2) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3-6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक-संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन-चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण- बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षानिर्वाह, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण- जनपद में विकासखण्ड स्तर पर नुगवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आई. को महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेंटेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल

का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एच.डी.आई. के लिए अनुबो-
 षात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सी.नेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु
 इस प्रकार हैं— अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.
 सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक
 पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा
 सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण — स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी
 बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का
 नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर, उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम
 शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर
 आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.
 एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.
 पी.ई.पी.—।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर
 संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया
 जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे— ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला
 सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों
 में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.
 एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास
 किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग
 अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं
 के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की
 स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी
 बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन
 सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण — सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना
 कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह
 प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा
 निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
 आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना:—

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 20 मई तक रहता है

जिसमें मात्र 220 दिन ही कार्य दिवस रूप से में उपलब्ध हो पाते हैं। इन्हीं कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य, परीक्षाएं तथा विद्यालय सन्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन होता है। विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 165-175 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं। निम्नांकित सारणी 8.9 द्वारा स्कूलों में वास्तविक शिक्षण समय को दर्शाया गया है।

सारिणी 8

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय :-

		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
		घंटा/समय	घंटा/समय
भाषा 1	हिन्दी	9 घण्टे	9 घण्टे
भाषा 2	संस्कृत/उर्दू	6 घण्टे	6 घण्टे
भाषा 3	हिन्दी	6 घण्टे	8 घण्टे
विज्ञान		6 घण्टे	7 घण्टे
गणित		9 घण्टे	10 घण्टे
सामाजिक विषय		6 घण्टे	6 घण्टे
सामाजोपयोगी कार्य		4 घण्टे	4 घण्टे
कला शिक्षण		2 घण्टे	2 घण्टे
स्रोत: डायट औरैया			

स्कूल समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षण अवधि मात्र 5 या 6 घण्टे होती है। इसी अवधि में विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है। समय सारिणी में मुख्य विषयों का अधिक स्थान दिया जाता है जबकि अन्य विषयों को अपेक्षाकृत कम समय ही मिल पाता है।

शिक्षण दिवस मात्र 165-175 दिन होने के कारण विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम का शिक्षण कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है।

सारिणी 8

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण के लिए दिवस	175	165
परीक्षा	20	25
अन्य कार्य	15	20
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	---
स्रोत: डायट औरैया		

उपर्युक्त सारिणी-9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 175 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विनायक द्वारा तय की गई 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा वह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समयसे अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले नानव संसाधनों का विद्यालय-गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनु रूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.29 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.93 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक-संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1-5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6-8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001-02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक

संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 48 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 60 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7- गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका -

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना -

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना -

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध-मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर. सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी जी क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके त्हायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन सन्तुष्ट गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त

बहुय विशेषज्ञ शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एन०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सन्दर्भ में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना -

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी०ई०पी० के अन्तर्गत शिक्षकों को रु० 500/- अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु० 500/- शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला

स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन -

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न सनत्वाओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय वंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी-

1. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र-छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटन का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा-कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन -

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक नगर्ददर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों को शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर 'क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी' भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एजान रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एन.पी.आर.सी. लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सहन बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और सन्धान ढूँढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अन्तर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं—

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपराह्न सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य-निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल-परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग —

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किन्तु स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. ऑकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन को प्रणाली को जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार आवश्यक है। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें ग्रीड बैंक प्रदान करने के लिए सतत-व्यापक मूल्यांकन

प्रणाली विकसित की जायेगी।

एन.सी.ई.आर.टी., उ०२० द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सहायिता के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अतिन स्वल्प प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अनिदुर्डीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक-प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्-विषयक प्रशिक्षण डायट, वी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अनिकर्णियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित हैं-

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टान्, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.एर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी 30 दिन	15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक	15 दिन 10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.एर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.एर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.एर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	03 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवानिदुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त	05 दिन

15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	करने वाले शिक्षक डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.	05 दिन
16.	मेटेरियल मेला	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	03 दिन
17.	सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
25.	दुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटेरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
28.	बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक/पूरक सामग्री निर्माण कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
		डायट सदस्य शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगा। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी. सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया

जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- 0 सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण- आयोजन करेंगे।
- 0 विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- 0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- 0 अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- 0 बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- 0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- 0 बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- 0 प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका-

- 0 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- 0 शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- 0 विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी. / पी.टी.ए. / एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- 0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- 0 स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- 0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- 0 एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल का निर्माण :-

जनपद के लिये सरल पाठ्यक्रम के विकास तथा बच्चों के लिये सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल के विकास हेतु डायट द्वारा (गुड़वा) नामक पुस्तिका का निर्माण किया गया इस हेतु इलाहाबाद व लखनऊ में डायट प्रवक्ता तथा जनपद इटावा/औरैया के लेखन कार्य में तन्त्रि रखने वाले अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। इसी क्रम में डायट अखिलमन औरैया में भी कई कार्यशालयें चलाई गईं। पुस्तिका प्रिंटिंग हेतु तैयार है। प्रिंटिंग के लिये राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है। बजट के अभाव में पुस्तिका का मुद्रण संभव नहीं हो पाया है। पुस्तिका इटावा की क्षेत्रीय बोली में विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराई गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल का विकास एवं डायट स्तर पर कराया जायेगा जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

डायट स्तर से शिक्षकों शिक्षा अधिकारियों तथा बी0आर0सी0 के लिये मासिक न्यूज पेपर (डायट दर्पण) का प्रकाशन नियमित रूपसे विश्व बैंक योजना के तहत होता रहा है भविष्य में सर्वशिक्षा अभियान के तहत डायट स्तर पर सतत रूपसे यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

1- नगर क्षेत्रों में मलिन क्षेत्रों में रहने वालों बच्चों स्टीट चिल्ड्रेन के लिये शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सम्पन्न कराने हेतु सबसे पहले विचार विमर्श करके स्थान का चयन कराया जायेगा। तत्पश्चात् उनके प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था डायट स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

3- प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिये अभिनव कार्य उपकेन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर स्थित अच्छे उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाई स्कूल इण्टरमीडियट में से किसी विद्यालय का डी0आई0ओ0एस0 व बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा चुनाव कर उनमें विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृणीकरण, उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आसगास के शेष प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से उनको जोड़कर विज्ञान शिक्षण के लिये सघन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

3- बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराने के लिये प्रत्येक अध्यापक को यह जिम्मेदारी सौंपी जायेगी कि वह अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के घर माह में एक बार सम्पर्क कर उसके उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसी क्रम में अभिभावक संघ का गठन किया जायेगा जिसकी वर्ष में दोबार बैठक सम्पन्न कराई जायेगी। जिससे समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सन्निहित होगी।

योजना निर्माण की प्रक्रिया :-

योजना निर्माण की प्रक्रिया में निम्न घटकों का सहयोग लिया गया है जो इस प्रकार हैं-

- (1) सर्व प्रथम जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की बैठक में विचार-विमर्श के दौरान विचारों का सहयोग लिया गया।
- (2) फोकस ग्रुप डिसकशन के अन्तर्गत डायट स्तर पर स्टाफ से विचार विमर्श किया गया। इसके

- बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी०आर०सी० समन्वयकों के अथक प्रयास एवं वार्ता के फलस्वरूप जो बिन्दु उभर कर सामने आये उन बिन्दुओं को निष्कर्ष रूप में चुना गया और योजना निर्माण में सम्मिलित किया गया।
- (3) योजना निर्माण की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण एवं स्रोत के माध्यम को अपनाया गया है पर्यवेक्षण का कार्य डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं एवं बी०आर०सी० समन्वयकों तथा एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा कराया जाता रहा है।
- (4) स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं एवं समुदाय के सभी सदस्यों का योजना निर्माण की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग लिया गया।

नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

जनपद इटावा में इस समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में संचालित था, वह जिले के विभाजन के फलस्वरूप जनपद औरैया में चला गया है। इसलिये जनपद में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नवीन स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टीचर एजुकेशन स्कीम के अन्तर्गत पृथक से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्तियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारु संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप-जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्तियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रु. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रु. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रु.15,000 तथा रु.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को सुदृढ़ बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन-पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक-एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रु. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. सनन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार उन्हाई परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय सन्तारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के स्वयं एवं अनिन्वयक प्रतिभाग करेंगे इस अवसर पर छात्र-छात्रों के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सन्नाप्ति पर सन्तुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण


सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन 30 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जबाबदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की सनस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नन्दाचारान्तरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ 30 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता

है-



संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

- (क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।
- (ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएँ तैयार करना।
- (ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।
- (घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

- (ड) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।
- (च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
- (छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण 30 प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजना।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं-

1. ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्त एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे०जी०एस०वाई० के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगे तथा नियमित रूप से पर्वेक्षण व अनुश्रवण करेगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी हेगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी हेगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित हेगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आँकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एल0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ सुदृढीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ०प्र० विसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला विसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है -

❖ जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
❖ मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य-सचिव
❖ प्राचार्य डायट	-	सदस्य
❖ जिला श्रम अधिकारी	-	सदस्य
❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
❖ वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0ई0)	-	सदस्य
❖ जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से)	-	सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व:-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इन्ने जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिदर्शन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता सर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. जिला पंचायत अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य - सचिव |
| 3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) | पदेन सदस्य |
| 4. जिला समाज कल्याण अधिकारी | पदेन सदस्य |
| 5. जिला विद्यालय निरीक्षक | पदेन सदस्य |
| 6. अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक | पदेन सदस्य |
| 7. तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। | सदस्य |
| 8. विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा। | सदस्य |

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिन्ना स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्धन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावन्धन करेगा। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद 30प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2 रु. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1 रु. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिक सहायक	3 रु. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति-उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का वह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु ₹ 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु ₹0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु ₹0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा, यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजुकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई०एम०आई०एस०):-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुभव हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम०आई०एस० डाटा केचर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चिकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई०एम०आई०एस० तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटरइण्ड ई०एम०आई०एस० के संचालनार्थ एक ई०एम०आई०एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा को रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई०एम०आई०एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई०एम०आई०एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई०एम०आई०एस० अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व हेमि-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी०आर०सी० समन्वयक, एन०पी०आर०सी० समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित कराना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोस्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत / प्रेषित करना।

ई०एम०आई०एस० अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर ऑपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिक विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण:-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी०आर०सी० समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन०पी०आर०सी० समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर ऑपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच:-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमन्वर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगा। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग:-

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डिकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डिकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का सन्निवेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो जाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेविन्न वस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर वस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।
कोर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य हेतु:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे करना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
11. शैक्षिक आकड़ों (ई0एम0आई0एम0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

- 12- शिक्षकों, समन्वयकों, इं०सी०सी०ई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।


निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के साथे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः ₹० 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय सन्दर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एवं प्रोक्चोरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्भिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्ट्रुक्चर को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातों पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फंड फ्लो डायग्राम



सम्प्रेक्षण व्यवस्था:-

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी०आर०सी० समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में हेने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उच्चारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS													
A1.	New Primary SchoolsUnservd	259 (191+10+18+40)	46	11914									46	11914
1	New Upper Primary Schools	451 (383+10+18+40)	40	13520	40	13520	50	16900					130	43940
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) (1 teacher+1 Shiksha Mitra)	11.2	46	4637	46	4637	46	4637	46	4637	46	4637	230	23184
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	9	160	12960	320	25920	520	42120	520	42120	520	42120	2040	165240
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	10	40	3600	80	9600	140	16800	130	15600	130	15600	520	61200
5	Furniture / Fixture & Equipment													
	PS	10	46	460									46	460
	UPS	50	40	2000	40	2000	50	2500					130	6500
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Cohart Study	200	1	200					1	200			2	400
	Total		420	49491	527	55877	807	83157	698	62757	697	62557	3149	313838
A2	Upgradatgion of EGS (TLE) to PS	10											0	0
	Total		0	0									0	0
	Interventions for out of school children													

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
ETAWAH

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A3	Alternative School (EGS + AIE)													
	EGS													
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	1840	1297	3440	2425	2500	1763	1200	846			8980	6331
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	Upper Primary	1.0 per child	2160	2160	1800	1800	1200	1200	800	800	600	600	6560	6560
	Total		4001	3507	5241	4275	3701	3013	2001	1696	601	650	15545	13141
A4	Back to School Campaign	1.5 per child	200	300	175	263	150	225	150	225			675	1013
	Innovation in EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	50	75	50	75	50	75					150	225
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa												0	0
	SubTotal (A)		4672	53423	5993	60490	4708	86470	2849	64678	1298	63207	19520	328267
(R)	RETENTION													
	Additional Classrooms	70	210	14700	277	19390	200	14000	200	14000	100	7000	987	69090
	Additional Teachers Primary School (1Tr+1SM)	7×12	288	24192	427	35868	561	47124	756	63504	889	74676	2921	245364
	Additional Teachers Primary School (SM)	2.25	345	6986	427	11529	561	15147	756	20412	889	24003	2978	78077
R1	Toilets (PS + UPS)	10	31	310	300	3000	300	3000	200	2000			831	8310
	Rec. of Old PS	191	41	7831	20	3820	20	3820					81	15471

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Rec of Old UPS	383	9	3447	20	7660							29	11107
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	40	720	30	540							70	1260
	Repairs (PS+UPS)													
	Minor	20	30	600	27	540							57	1140
	Major	70	10	700	12	840							22	1540
													0	0
R3	Maintenance of School	5PA/per schools	1203	6015	1289	6445	250	1250	300	1500	400	2000	3442	17210
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School													
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	931	1832	977	1954	977	1954	977	1954	977	1954	4839	9678
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	272	544	312	624	352	704	402	804	402	804	1740	3480
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district		5000		5000		5000		5000		5000		25000
	Promoting Girls Education													
	Summer Camps	10 per camp	9	90	9	90	9	90	9	90	9	90	45	450
R6	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300	20	1500
R7	SUPW for girls	25 per school	4	100	4	100	4	100	4	100	8	200	24	600
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre	20	360	20	360							40	720
1	Strengthening ICDs Centres													

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
ETAWAH

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100									1	100
4	Civil Works (one additional room)	70											0	0
5	TLM	5 per centre	20	100	20	100	20	100	20	100			80	400
6	Additional Honorarium (Instructor/Worker)	0.375 per centre	20	90	20	90	20	90	20	90			80	360
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	20	30	20	30	20	30	20	30			80	120
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)													
	Induction	3											0	0
	Recurring	1.2	20	24	20	24	20	24	20	24			80	96
R10	Community Mobilisation													
1	MTA/PTA training	0.007	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	20800	1455
2	Kala Jatha (VEC, Block Level & Dist. Level)	8 per NPRC	40	320					40	320	40	320	120	960
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	40	200
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	40	200
5	Production of Audio Tapes	10 per district			1	10			1	10			2	20
6	Production of Video Tapes	10 per district			1	10			1	10			2	20

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district					1	50					1	50
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
R12b	Award for Best BRC	7 Per Block	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	40	280
R12c	Award for Best BRC	5 Per Block	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	40	200
R13	Remedial Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	150	106	200	141	150	106					500	353
R14	Assistance of NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child											0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	650	780	700	840	650	780	400	480	150	180	2550	3060
1	Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)											0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	5	500	8	800	6	800	8	800	8	800	37	3700
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1252	626	1338	669	1378	689	1428	714	1428	714	6824	3412
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school											0	0
	Sub Total (B)		9823	76975	10681	101316	9703	95700	9764	112784	9502	118583	49473	505358

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
ETAWAH

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin		
(G)	Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	230	483	139	284	134	281	195	410	133	279	831	1737
2	Induction Training for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	231	97	139	58	135	57	195	82	134	56	834	350
3	Induction Training of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	46	19									46	19
4	Induction Training of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	40	17	40	17	50	21					130	55
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3783	2648	3922	2745	4057	2839	4252	2976	4386	3070	20400	14278
6	In Service Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day											0	0
7	Inservice training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	76	160	40	84							116	244
8	Refresher course for Shiksha Mitra (5 Days)	0.07 per person per day	57	60	287	301	426	447	560	588	755	793	2085	2189
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day	100	105	176	185	215	227					492	517

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	40	15
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	75	26	75	26	75	26	75	26	75	26	375	130
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	125	175
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	125	265
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	83	125	83	125	83	125	83	125	83	125	415	625
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	17	6	17	6	17	6	17	6	17	6	85	30
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	8	3									8	3
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	50	75

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
ETAWAH

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day			3328	300			3328	300			6656	600
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	10	700							20	1400
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1000	350	750	263							1750	613
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	20	70
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	50	125
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	800	168	900	189	800	168					2500	525
	Total		6638	5112	9988	5428	6075	4342	8787	4658	5665	4500	37153	24040
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	4013	2007	4152	2076	4286	2143	4481	2241	4614	2307	21546	10774
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1296	648	1495	748	1695	848	1945	973	1945	973	8376	4190
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0.150 per Child per year	108000	16200	110000	16500	113000	16950	115000	17250	120000	18000	566000	84900
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	961	481	1007	504	1007	504	1007	504	1007	504	4989	2497
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	291	291	331	331	371	371	451	451	451	451	1895	1895

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS							1	1000			1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160					1	160					1	160
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10					3	30
10	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400							1	400	2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400							1	400	2	800
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
	Total		114567	20647	116989	20379	120364	21196	122888	22629	128022	23245	602830	108096
	Subtotal (C)		121205	25759	126977	25807	126439	25538	131675	27287	133687	27745	639983	132136
(C)	DIET													
C1	Civil Work	5000											0	0
1	Furniture	100											0	0
2	Equipments (including audio visual)	300											0	0
3	Computers Work Station	600											0	0
4	Vehicle (where appkicable)	350											0	0
5	Hiring	5											0	0

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
ETAWAH

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	POL	30											0	0
7	Maintenance of Vehicle	20											0	0
8	Research/Action Research	200											0	0
	Seminar	200											0	0
9	Faculty Development	30											0	0
	Publications	400											0	0
10	Exposure visits	50											0	0
11	Library	25											0	0
12	Salary of Computer Operator	7											0	0
13	Salary of Driver (where applicable)	4											0	0
	Contingency	100											0	0
14	Consumable/Computer Stationary	10											0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Centre													
1	Civil Construction	800											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Asstt. Coordinator	9	8	864	8	864	8	864	8	864	8	864	40	4320
4	Chowkidar	3											0	0
5	Equipment/Furniture	100											0	0

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Travelling Allowance	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	40	200
7	Maint of Equipment	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	40
8	Maint of Building	6	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	40	240
9	Books	10			8	80			8	80			16	160
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1252	377	1338	401	1378	413	1428	428	1428	428	6824	2047
11	Consumables	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	40	200
12	Contingency	12	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	40	480
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	96	29	96	29	96	29	96	29	96	29	480	145
	Total		1396	1502	1490	1606	1522	1538	1580	1633	1572	1553	7560	7832
C3	School Complex (NPRC)													
1	Construction	200											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Equipment/Furniture	10											0	0
4	Books for Library/Book Bank	5			75	375			75	375			150	750
5	Contingency	2.5	75	188	75	188	75	188	75	188	75	188	375	940
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	75	180	75	180	75	180	75	180	75	180	375	900
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1252	250	1338	268	1378	276	1428	286	1428	286	6824	1366
													0	0
	Total		1402	618	1563	1011	1528	644	1653	1029	1578	654	7724	3956

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
ETAWAH

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office													
	Staffing Coordinators - 4													
	Consultants - 2													
	AAO													
	Driver - 1													
	(if vehicle is purchases)	88	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	5	5280
	Equipment	50											0	0
	Furniture & Fixtures	50											0	0
	Books	10			1	10			1	10	1	10	3	30
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350											0	0
	Motorcycle	50											0	0
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	8	576	8	576							16	1152
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	POL for Motorcycle	12x4	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	20	240
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1252	198	1338	211	1378	218	1428	226	1428	226	6824	1079

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1252	376	1338	401	1378	413	1428	428	1428	428	6824	2046
	Total		2524	2404	2697	2452	2768	1885	2869	1918	2869	1918	13727	10577
C 4.1	MIS													
1	MIS Call Furnisning	50											0	0
	Salary of MIS Officer	10 x 12			1	120	1	120	1	120	1	120	4	480
2	Salary of Computer Operators - 3 Nos.	7 p.m. x 12	1	84	3	252	3	252	3	252	3	252	13	1092
3	MIS Equipments (where applicable)	460											0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		4	149	7	437	7	437	7	437	7	437	32	1897
	Sub Total (D)		5326	4673	5757	5506	5825	4504	6109	5017	6026	4562	29043	24262
	Grand Total		141026	160830	149408	193119	146675	212212	150397	209766	150513	214097	738019	990023



National Institute of Education
 Training and Administration
 7-B, Sri Aurobindo Marg,
 New Delhi-110016

D-11478
 09-07-2002